



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, बुधस्तिवार, जनवरी 27, 1994/माघ 7, 1915

No. 30]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 1994/MAGHA 7, 1915

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1994

सा.का.नि. 35(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भविष्य निधि) नियमावली, 1994 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[सं. पी.आर.-12016/14/92-पी.ई.]  
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी

(भविष्य निधि) विनियमावली, 1994

प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1968 की धारा 28 की उपधारा (ख) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल ने निम्नलिखित विनियमावली तैयार की है :—

अध्याय-1 : सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक :

इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर्मचारी (भविष्य निधि) विनियमावली, 1994 होगा।

2. परिभाषा :

(1) इस विनियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(i) 'मंडल', 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष' एवं 'विभागाध्यक्ष' के वही पर्याय हैं जो प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में दिए गए हैं।

(ii) 'लेखा अधिकारी' से तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे अध्यक्ष ने समय-समय पर भविष्य निधि खाते को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी है।

(iii) 'अंशदाई भविष्य निधि, (अ.भ.नि.)' से तात्पर्य उस भविष्य निधि से है जिसका अभिदाता विनियम 30 और 31 के अन्तर्गत मंडल द्वारा अंशदान तथा उपदान का अधिकारी है।

(iv) 'परिवार' से तात्पर्य वेतन, छुट्टी वेतन, निर्वाह अनुदान अथवा वेतन के जैसा कोई अन्य भुगतान है।

टिप्पणी :

तीसरी श्रेणी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारी के संदर्भ में अंशदाई भविष्य निधि के लिए 'वेतन' शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(क) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य सेवा शर्तें) विनियमावली, 1993 के विनियम-2 के उप विनियम (18) में दी गई 'वेतन' की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सभी भुगतान।

(ख) इसके अलावा अन्य कोई भुगतान जो इस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं किन्तु कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 2 (ख) में दी गई 'मूलभूत मजदूरी' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) महंगाई भत्ता

(घ) प्रतिपूरक (नगर) भत्ता।

(व) 'सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.)' से तात्पर्य उस भविष्य निधि से है जिसमें अभिदाता कर्मचारियों के ऊपर लागू की गई पेंशन योजना के अंतर्गत देय पेंशन पाने का हकदार है :

(vi) 'परिवार' से तात्पर्य :—

(I) पुरुष अभिदाता के मामले में पत्नी अथवा पत्नियाँ, माता-पिता, बच्चे, अव्यक्त भाई, अविवाहित बहनें, दिवंगत पुत्र की विधवा और उसके बच्चे, किन्तु जहाँ अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं वहाँ दादा-दादी किन्तु अभिदाता अगर यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी विधिमान्य रूप से उससे अलग हो गई है अथवा उस सम्प्रदाय के पारस्परिक नियमों के अनुसार उसका निर्वाह भत्ता मिलना बन्द हो गया है तो फिर उसे अंशदायिक परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। अभिदाता चाहे तो लेखा अधिकारी को भविष्य में यह लिखित में सूचित कर सकता है कि उपरोक्त पत्नी का परिवार में ही माना जाए।

(II) महिला अभिदाता के मामले में पति, माता-पिता, बच्चे, अव्यक्त भाई, अविवाहित बहनें, दिवंगत पुत्र की विधवा और उसके बच्चे, किन्तु जहाँ अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं वहाँ दादा-दादी अगर अभिदाता लिखित नोटिस भेजकर लेखा अधिकारी को यह इच्छा व्यक्त करेगी कि उसके पति को परिवार में न समझा जाय तो उसे परिवार में नहीं समझा जाएगा। महिला अभिदाता अगर चाहे तो लिखित रूप से इस नोटिस को भविष्य में निरस्त भी कर सकती है।

टिप्पणी :

बच्चे से तात्पर्य वैध बच्चे से है। इसमें दत्तक बच्चा भी मान्य है अगर बच्चे को गोद लेना अभिदाता के ऊपर लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार मान्य है।

(vii) 'छुट्टी' से तात्पर्य किसी भी इकार की उस छुट्टी से है जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी छुट्टी विनियमावली, 1993 के अन्तर्गत मंजूर की गई है।

(viii) 'अर्धभाग' से तात्पर्य वह अर्धांश है जो सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित किया गया है।

(ix) 'वर्ष' से तात्पर्य वित्त वर्ष से है।

(2) इस विनियमावली में प्रयुक्त होने वाली कोई अन्य अभिव्यंजना उसी अर्थ में प्रयुक्त होगी जिस अर्थ में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) अथवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा की सामान्य शर्तें) विनियमावली, 1993 में परिभाषित हुई है।

(3) इस विनियमावली का कोई भी प्रावधान वर्तमान भविष्य निधि के अस्तित्व को समाप्त नहीं करेगा या नयी निधि को स्थापित करेगा।

3. जमा धनराशि की एक निधि से दूसरी निधि में स्थानांतरण:

(1) अगर कोई कर्मचारी सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत कारपोरेट निकाय या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय की गैर-अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता है तथा वह स्थाई रूप से बोर्ड की पेंशन गामी सेवा में स्थानांतरित होता है तो उस निकाय की सहमति से स्थानांतरण के दिनों तक उस निकाय की भविष्य निधि में उस कर्मचारी का अभिदान एवं उस पर व्याज बोर्ड के सामान्य भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

(2) अगर कोई कर्मचारी उप-विनियम (1) में बताए गए किसी निकाय के अंशदाई भविष्य निधि का

अभिदाता है तथा वह बोर्ड की पेंशन गामी सेवा में स्थानान्तरित होता है और विकल्प दिये जाने पर वह अंशदाई भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत आने का विकल्प नहीं देता है :—

- (i) उस निकाय की सहमति से उसके निकाय के अंश-दाई भविष्य निधि के खाते में स्थानांतरण के दिन तक जमा अंशदान तथा व्याज बोर्ड के सामान्य भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित होगा।
- (ii) उस निकाय की सहमति से उस निकाय की अंश-दाई भविष्य निधि के उसके खाते में जमा नियोजक के योगदान और उस पर व्याज को बोर्ड के राजस्व में जमा होगा।
- (iii) तत्पश्चात् वह पेंशन नियमों के अन्तर्गत स्थाई स्थानांतरण के दिन तक की अपनी पिछली सेवाओं को जुड़वाने का अधिकारी होगा।

#### टिप्पणी 1 :

इस विनियम के प्रावधान उस अभिदाता के ऊपर लागू नहीं होते हैं जो विनियम में बताए निकाय से ..... सेवा निवृत्त होकर व्यवधान सहित अथवा व्यवधान रहित बोर्ड की सेवा में फिर से नियोजित हुआ है अथवा जो उपरोक्त निकाय में संविदा के आधार पर नियुक्त था।

#### टिप्पणी 2 :

इस विनियम के प्रावधान उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो विनियम में बताए निकाय से त्यागपत्र देकर या सेवा निवृत्त होकर अस्थाई या स्थाई रूप से बोर्ड की सेवा में किसी पर अबाधित रूप से नियुक्त हुए हैं।

- (3) अगर सामान्य भविष्य निधि खाते का अभिदाता बाद में अंशदाई भविष्य निधि का सदस्य बन जाता है तो उसका अभिदान व्याज सहित अंश-दाई भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जाएगा।

टिप्पणी :—इस उप विनियम के प्रावधान उस अभिदाता पर लागू नहीं होते जो संविदा के आधार पर नियुक्त हुआ है अथवा जो ..... सेवा निवृत्त हो और अबाधित या बाधित रूप से बाद में पुनः सेवा में नियुक्त हुआ है।

- (4) यह विनियम आवश्यक परिवर्तनों सहित तब भी लागू होंगे जब कोई कर्मचारी बोर्ड की सेवा से विनियम में बताए निकाय की सेवा में स्थानांतरित होता है।

#### 4. भविष्य निधि का निवेश :

सामान्य भविष्य निधि/अंशदाई भविष्य निधि में जमा समस्त धनराशि का निवेश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा जिससे कि अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो।

#### 5. लेखों की वार्षिक विवरणी :

प्रत्येक वर्ष के अन्त में लेखा अधिकारी अभिदाता को उसके निधि की लेखा विवरणी शीघ्रातिशीघ्र भेजेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होगा :

- (1) पहली अप्रैल को वर्ष के प्रारंभ में जमाराशि
- (2) वर्ष में कुल जमा की या निकाली गई धनराशि
- (3) वर्ष में 31 मार्च तक जमा कुल व्याज
- (4) वर्ष के अन्त में शेष जमा राशि

#### 6. शक्तियों का प्रत्यायोजन :

इस विनियमावली के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। भिन्न-भिन्न उद्देश्य के लिए भिन्न-भिन्न प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं।

#### 7. अर्थ निर्णय :

- (1) इस विनियमावली के अर्थ-निर्णय से संबंधित सभी प्रश्न न्यासी मंडल के द्वारा निर्णीत किए जाएंगे तथा न्यासी मंडल का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी सदस्यों को मान्य होगा।

- (2) अगर किसी मामले को निपटाने का प्रावधान इस विनियमावली में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है तो इस मामले को भविष्य निधि अधिनियम, 1925 सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 और अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत) 1962 तथा उसके अन्तर्गत निकाले गए आदेश उस हद तक लागू होंगे जिस हद तक विनियमावली के प्रावधान या इस विनियमावली के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किये गये किसी आदेश के विपरीत नहीं है।

- (3) अंशदाई भविष्य निधि एवं सामान्य भविष्य निधि इस विनियमावली अथवा ऐसी अन्य विनियमावली जो उस समय प्रभावी होंगी के अन्तर्गत होंगी तथा ये विनियम पूर्ण रूप से सभी सदस्यों को मान्य होंगे। अध्यक्ष बोर्ड की सिफारिश पर और आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदन करने की शर्त पर इस विनियमावली में समय-समय पर निरसन, परिवर्धन, परिवर्तन अथवा फेरबदल कर सकते हैं तथा बोर्ड के निर्देशानुसार अन्य विनियमावली भी बना सकते हैं किन्तु इस प्रकार किया गया कोई भी परिवर्धन, परिवर्तन अथवा निरसन बीते काल में प्रभावी नहीं होगा तथा किसी अंशदाता के परिवर्धन, परिवर्तन तथा निरसन के दिन तक जमा

होने वाली राशि के जमा होने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा।

8. व्यक्तिगत मामलों में विनियमावली के प्रावधानों में छूट :

अगर अध्यक्ष संतुष्ट है कि इस विनियमावली के किसी प्रावधान से किसी अभिदाता को अवाहनीय कठिनाई है अथवा होने वाली है तो वे इस विनियमावली के किसी प्रावधान के होते हुए भी उस अभिदाता के मामले को न्यायपूर्ण तथा समभाव की दृष्टि से अनुमोदन लेकर निपटा सकते हैं। इस विषय में बोर्ड का निर्णय अंतिम रूप से अभिदाता को मान्य होगा।

### अध्याय-2

#### सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.)

9. सामान्य भविष्य निधि की संरचना :

(1) सामान्य भविष्य निधि रूपों में रखी जाएगी।

(2) इस अध्याय की विनियमावली के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि में जमा की जाने वाली राशियां जवाहरलाल नेहरू पतन न्यास कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) नामक खाते में जमा की जाएंगी। इस विनियमावली के अंतर्गत देय होने वाली राशि का भुगतान अगर छः माह तक नहीं हुआ तो वर्ष के अंत में जमा खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी एवं उस पर जमा खातों के नियम लागू होंगे।

10. पात्रता की शर्तें :

एक वर्ष तक निरन्तर सेवा में रहने वाले सभी अस्थाई कर्मचारी, सभी स्थाई कर्मचारी तथा अंशदाई भविष्य निधि में शामिल होने के पात्र व्यक्तियों को छोड़कर बाकी कर्मचारी जो पेंशन ग्रहण करने के बाद नियुक्त हुए हैं सामान्य भविष्य निधि में अभिदान करेंगे। जब तक किसी कर्मचारी को अंशदाई भविष्य निधि में अभिदान करने की अनुमति दी गई है तब तक सामान्य भविष्य निधि का सदस्य नहीं बन पायेगा।

#### टिप्पणी :

(1) पर्सोनालीज्म कर्मचारी अस्थाई कर्मचारी कहलाएंगे।

(2) अगर कोई अस्थाई कर्मचारी महीने के मध्य में

एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करेगा तो वह अपने माह के पूरे करण में सामान्य भविष्य निधि में अभिदान कर सकेगा।

(3) जिन अस्थाई कर्मचारी की नियुक्ति नियमित रिक्तियों के प्रति की गई है और जिनकी नियुक्ति एक वर्ष के अवधि के लिए की गई है वे एक वर्ष पूर्ण होने के पहले ही वे अपने माह के पूरे करण में सामान्य भविष्य निधि में अभिदान कर सकते हैं।

(4) अगर कोई कर्मचारी अधिनियम 3 के उपनियम (1) में संकेतिक निकाय से एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद स्थानांतरित होकर आया है तो वह तुरंत ही सामान्य भविष्य निधि का सदस्य हो सकेगा।

(5) जब कोई अभिदाता विदेशी सेवा में स्थानांतरित होता है अथवा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो वह इस विनियमावली के अंतर्गत वैसे ही समझा जाएगा जैसे वह अगर स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता तो समझा जाता।

11. अभिदान की शर्तें :

(1) निलम्बन काल को छोड़कर अभिदाता प्रति माह सा.भ.नि. में अभिदान देगा। अभिदाता अगर चाहे तो उन छुट्टियों के दौरान सा.भ.नि. में अभिदान नहीं करेगा जिनमें छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता हो अथवा आधे वेतन के बराबर छुट्टियों का वेतन मिलता हो जो निलम्बन के बाद पुनः सेवा में लिये जाने पर अभिदाता को यह छूट होगी कि वह चाहे तो निलम्बन के बाद पुनः सेवा में लिये जाने पर निलम्बन काल में सा.भ.नि. में प्रतिमाह जमा न किए गए धन को चाहे एकमुश्त रूप से जमा कर दें अथवा प्रतिमाह किस्तों में जमा करे किन्तु जमा की जाने वाली वह राशि उस समय किए जाने वाले भुगतान से अधिक नहीं होनी चाहिए।

#### टिप्पणी :

अभिदाता को (डायरेज नन) की अवधि में अभिदान देने की आवश्यकता नहीं है।

(2) अभिदाता को छुट्टी पर जाने के पूर्व ही लेखा अधिकारी को यह लिखित रूप से बताना चाहिए कि वह छुट्टियों के दौरान सा.भ.नि. में अभिदान नहीं करेगा। अगर यह समय से सूचित नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि अभिदाता अभिदान करना चाहता है। इस विनियम के अंतर्गत अभिदाता द्वारा दिया गया विकल्प ही अंतिम होगा।

(3) अभिदाता जिस महीने में सेवा मुक्त होगा उस महीने में वह तब तक अभिदान नहीं करेगा जब तक कि वह महीने के प्रारंभ होने से पूर्व ही लेखा अधिकारी को यह लिखित रूप से देगा कि वह छुट्टी पर जा रहा है। जो कर्मचारी सेवा निवृत्ति होने वाला है वह सेवा निवृत्ति के अंतिम 3 महीनों में सा.भ.नि. में अभिदान नहीं करेगा।

(4) जो अभिदाता इस विनियमावली के विनियम-23 के अंतर्गत अपने सा.भ.नि. खाते में जमा समस्त रकम का अंशदाई कर देता है वह जब तक छुट्टी पर नहीं जाता तब तक सा.भ.नि. में अभिदान नहीं कर सकेगा।



## 12. अभिदान की दरें :

(1) नीचे लिखी शर्तों के अनुसार अभिदाता स्वयं ही सा.भ.नि. अभिदान की दर निश्चित करेगा :—

- (i) यह 12 रुपए के गुणांकों में ही निश्चित किया जाएगा।
- (ii) अभिदान परिलब्धियों के 6% से कम नहीं होगा तथा परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा।

(2) उप-विनियम (i) के हेतु अभिदाता की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी :

(i) जो अभिदाता 31 मार्च को मंडल की सेवा में या तो उस तिथि का देय परिलब्धियां मान्य होंगी अगर अभिदाता उक्त दिन को छुट्टी पर या तथा उसने छुट्टी पर अभिदान न देने का विकल्प दिया या अथवा वह निलम्बन काल में या तो सेवा में वापिस आने की तिथि पर देय परिलब्धियां मान्य होंगी। अगर अभिदाता उक्त दिन भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर या अथवा छुट्टी पर या तथा उसने यह विकल्प दिया था कि छुट्टी के दौरान वह अभिदान देगा तो उस की परिलब्धियां वह होंगी जो भारत में नौकरी पर उपस्थित होने पर देय होती।

(ii) जो अभिदाता 31 मार्च को मंडल की सेवा में नहीं था तो सा.भ.नि. का सदस्य बनने के दिन पर देय परिलब्धियां मान्य होंगी।

(3) अभिदाता को प्रत्येक वर्ष लेखा अधिकारी को अधोलिखित रूप से सा.भ.नि. के अभिदान को निश्चित करके सूचित कर देना चाहिए :—

(i) अगर अभिदाता पिछले वर्ष की 31 मार्च को नौकरी पर उपस्थित था तो उसे यह बताना चाहिए कि उस माह के वेतन बीजक से वह कितनी अभिदान कराना चाहता है।

(ii) अगर अभिदाता 31 मार्च को छुट्टी पर था तथा छुट्टी के दौरान उसने अभिदान न कर देने का विकल्प दिया था अथवा वह निलम्बन अवधि में था तो सेवा में वापिस आने के बाद अगले माह के वेतन बीजक से वह कितना अभिदान देना चाहता है।

(iii) अगर अभिदाता वर्ष के दौरान पहली बार मंडल की सेवा में आया है तो वह जिस माह से सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनता है उस माह के वेतन बीजक से कितना अभिदान कटाना चाहता है।

(iv) अगर अभिदाता पूर्ववर्ती वर्ष में 31 मार्च को छुट्टी पर था तथा आगे भी छुट्टी पर रहने-वाला है तथा छुट्टी के दौरान उसने अभिदान देने का विकल्प दिया था तो उस माह के वेतन बीजक से कितना अभिदान कटाना चाहता है।

(v) अगर अभिदाता पूर्ववर्ती वर्ष की 31वीं मार्च को विदेश सेवा में था तो उसने या उसके विदेशी नियोजक ने चालू वर्ष के अप्रैल माह से अभिदान के रूप में जो राशि उसके खाते में जमा कराई होगी।

(4) अभिदान की राशि वर्ष के दौरान कभी भी

(i) एक बार घटाई जा सकती है।

(ii) दो बार बढ़ाई जा सकती है अथवा

(iii) उपर्युक्त रूप से घटा-बढ़ा सकते हैं।

जब अभिदान की राशि घटाई जाएगी तो वह उप-विनियम (i) के अनुसार यथा-स्थिति परिलब्धियों की कटौती के लिए निश्चित की गई न्यूनतम दर जैसे 6% अथवा  $8\frac{1}{3}\%$  से कम नहीं होगी अगर अभिदाता अनंतनिक या अर्धवेतन अवकाश पर था तथा उस दौरान उसने सा.भ.नि. में अभिदान न करने का निर्णय किया था तो काम पर उपस्थित हुए दिनों तथा उपर्युक्त छुट्टियों के अलावा अन्य छुट्टियों के दिनों का ही अभिदान करना होगा।

## 13. अभिदान की वसूली :

(1) जब परिलब्धियां मंडल से आहरित की जाएंगी तो अभिदान की वसूली तथा अग्रिमों की अदायगी परिलब्धियों से कर ली जाएगी।

(2) अगर परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से आहरित की जाएंगी तो अभिदाता अपना देय प्रतिमाह लेखा अधिकारी को भेजेगा। अगर अभिदाता विदेश सेवा में है तो उसके अभिदान की वसूली विदेशी निकाल द्वारा करके लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी।

(3) अगर कोई अभिदाता सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बनने की अनिवार्य तिथि से अभिदान नहीं देता है अथवा विनियम 11 के अनुसार छुट्टी अवधि के अतिरिक्त किसी मास में अभिदान न देने का दोषी है तो देय अभिदान विनियम-14 में बताई गई दर से ब्याज सहित तुरंत ही सा.भ.नि. खाते में जमा करनी होगी। ऐसा न होने पर लेखा अधिकारी के आदेश से परिलब्धियों से एक मुश्त या किस्तों में जमा करनी होगी ; जिन अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में कोई ब्याज जमा नहीं की जाती है उन्हें ब्याज नहीं अदा करनी होगी।

## 14. ब्याज :—

(1) उप-विनियम (5) के प्रावधानों का ध्यान में रखते हुए न्यासी मंडल प्रत्येक वर्ष निर्धारित दर से सा. भ. नि. के अभिदानाओं के खातों में ब्याज अदा करेगा।

(2) निम्नलिखित रूप से प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन ब्याज खातों में जमा की जाएगी :—

(i) पिछले वर्ष के अंतिम दिन अभिदाता के खाते में जमा राशि में चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाकर 12 महीनों का ब्याज।

(ii) चालू वर्ष के दौरान आहरित राशियों पर चालू वर्ष के प्रारंभ से लेकर आहरण के माह के पूर्व माह के अंतिम दिन तक ब्याज।

(iii) चालू वर्ष के दौरान अभिदाता द्वारा जमा की गई धनराशियों पर: धनराशि के जमा करने के दिन से चालू वर्ष के अंतिम दिन तक ब्याज।

(iv) ब्याज की कुल धनराशि पूरे रूप में दी जाएगी। पचास पैसे को एक रुपया के बराबर माना जायेगा।

जब अभिदाता के खाते में जमा राशि देय होती है तो उस राशि पर इस विनियम के अंतर्गत देय ब्याज वर्ष के प्रारंभ से अथवा धनराशि जमा करने के दिन से जैसा कि परिस्थिति के अनुसार लागू हो। अभिदाता के खाते में जमा राशि के देय होने के दिन तक दिया जाएगा।

(3) इस विनियम के अंतर्गत परिलब्धियों से वसूलियों के मामले में जमा करने की तिथि महीने का पहला दिन होगा जिस मास में वसूली होगी। जो वसूलियां अभिदाता के द्वारा सीधे ही लेखा अधिकारी को भेजी जाती हैं तो वे अगर किसी मास के पांच तारीख से पहले प्राप्त होती हैं तो उस महीने का पहला दिन वसूलियां जमा करने का दिन माना जाएगा किंतु अगर वे पांच तारीख को या उसके बाद प्राप्त होती हैं तो अगले महीने का पहला दिन वसूलियां जमा करने का दिन माना जाएगा। अगर अभिदाता को वेतन या छुट्टी का वेतन और भत्ते देने में क्लिम्ब होता है और इस तरह सा. भ. नि. में उसके अभिदान की वसूली में देर होती है तो उस वसूली पर ब्याज उस मास से देय होगा जिस मास में वेतन या छुट्टी का वेतन इस विनियम के अंतर्गत देय था न कि उस मास से जिसमें वेतन, छुट्टी वेतन अथवा भत्ता ग्रहण किए थे। जो कर्मचारी विदेश सेवा में है उसका अभिदान जमा करने का दिन तब महीने का पहला दिन माना जाएगा जब उस महीने की पंद्रह तारीख से पहले उसके द्वारा भेजा अभिदान लेखा अधिकारी को भेजा जाया है। जहां परिलब्धियां माह के अंतिम

कार्य दिवस को मिलती है तो वहां अभिदान की वसूली जमा करने का दिनांक अगले माह का पहला दिन होगा।

(4) विनियम-23 के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि पर ब्याज भुगतान होने के माह के पूर्ववर्ती महीने तक अथवा भुगतान देय होने के माह से छः महीने तक जो भी अवधि कम हो उस व्यक्ति को देय होगी जिसको भुगतान देय है। अगर लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति (या उसके अभिकर्ता) को नकद भुगतान की तिथि सूचित की है अथवा उसे भुगतान का चेक भेज दिया है तो भुगतान की निश्चित तारीख तक अथवा चेक भेज ले की तारीख से पिछले माह तक ही ब्याज दी जाएगी।

अगर कोई अभिदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कारपोरेट निकाय अथवा संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 22, के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में विदेश सेवा शर्तों पर है और वह उक्त कारपोरेट निकाय में किसी पूर्ववर्ती तारीख से नियुक्त हो जाता है तो उस अभिदाता के सा. भ. नि. खाते में जमा राशि पर देय ब्याज निकालने के उद्देश्य से उस तिथि की अभिदाता के सा. भ. नि. खाते में जमा राशि देय समझा जायेगा जिस दिन उसके वहां नियुक्त होने के आदेश जारी हुए है। किंतु उसके वहां नियुक्त होने की तारीख से आदेश जारी होने की तारीख तक की अवधि में अभिदान की राशि पर इस विनियम के अंतर्गत ब्याज दिया जायेगा।

टिप्पणी : लेखा अधिकारी अगर संतुष्ट है तो अभिदान पर ब्याज छः महीने के बाद भी दे सकता है। अगर भुगतान में विलम्ब अभिदाता या अभिदाता के पात्र व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति में हुआ है और अभिदाता इसमें कुछ भी करने में असमर्थ था। ऐसे सभी मामलों में प्रशासनीय विलंब की पूरी छानबीन की जायेगी और अवाश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(5) अगर कोई अभिदाता लेखा अधिकारी को यह सूचित करेगा कि ब्याज नहीं चाहता तो वह उसके खाते में जमा नहीं की जायेगी किंतु अगर बाद में वह ब्याज की मांग करता है तो उसे उस वर्ष के पहले दिन से ब्याज दी जाएगी जिस वर्ष में उसने ब्याज देने की मांग की है।

(6) जो धनराशियां विनियम 13 के उप-विनियम (3), विनियम 23 के उप-विनियम (1) और (2) के अंतर्गत सा. भ. नि. में अभिदाता के खाते में प्रतिस्थापित कर दी गई हैं, उक्त धनराशियों पर ब्याज उप-विनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित दर से तथा इस विनियम में बताई गई रीति से गणित किया जायेगा।

(7) अगर ऐसा पाया गया कि अभिदाता ने भुगतान के दिन सा.भ.नि. में उसके खाते में जमा रकम से अधिक भुगतान ले लिया है तो उसे उस अधिक भुगतान की राशि को एक मुश्त रूप से ब्याज सहित लौटाना होगा और वैसे न करने पर आदेश जारी करके अभिदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त रूप से वह राशि वसूल करली जाएगी चाहे वह धनराशि अभिदाता ने सा.भ.नि. में से अग्रिम आहरण अथवा अंतिम भुगतान के रूप में ली हो। अगर वसूल की जाने वाली धनराशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूलियां मासिक किस्तों में परिलब्धियों के बराबर या उस अनुपात में तब तक वसूल की जाती रहेंगी जब तक कि वह समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूल नहीं हो जाती। इस उप-विनियम हेतु ब्याज की दर उप-विनियम (1) में बताई गई दर से 21/2% अधिक होगी।

#### 15. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम :-

(1) उपयुक्त मंजूरी प्राधिकारी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किसी भी अभिदाता को अग्रिम का भुगतान करने की मंजूरी दे सकता है। अग्रिम राशि दस रुपए के समान गुणांकों में होगी व उसके 3 माह के वेतन अथवा उसके सा.भ.नि. खाते में जमा धनराशि के आधे इन दोनों से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होगी।

(क) अभिदाता या उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा वह कोई भी व्यक्ति जो उस पर वास्तव में निर्भर है की निम्नलिखित मामलों में उच्च शिक्षा तथा जहां जरूरत हो या यात्रा सम्बंधी व्यय उठाने के लिए :

- (i) भारत के बाहर 10 वीं कक्षा से अधिक स्तर की शैक्षिक, तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा और
- (ii) भारत में 10 वीं कक्षा से अधिक स्तर की चिकित्सा अभियांत्रिकी अथवा अन्य तकनीकी या विशिष्ट जो 3 वर्ष से कम नहीं है।

टिप्पणी : अभिदाता प्रत्येक छः माह में अग्रिम प्राप्त कर सकता है।

(ख) अभिदाता उसके परिवार अथवा उस पर वास्तविक रूप से निर्भर किसी व्यक्ति की बीमारी प्रसूति या अपंगता का व्ययभार और अगर आवश्यक हो तो यात्रा खर्च उठाने के लिए।

(ग) जमीन के टुकड़े खरीदने या रहने के घर बांधने का खर्च उठाने के लिए या दिल्ली विकास प्राधिकरण या अन्य राज्यों के ऐसे ही प्राधिकरणों या किसी राजकीय गृह निर्माण परिषद अथवा गृह निर्माण सहयोगी संस्था के द्वारा प्लॉट या घर आबंटन होने पर उसकी कीमत चुकाने के लिए अग्रिम की रकम सा.भ.नि. में अभिदाता के

खाने जमा में रकम के आधे या उसके 36 माह के वेतन इन दोनों में जो भी धनराशि कम हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) सगाई या विवाह, अंतिम संस्कार अथवा अन्य संस्कारों पर पारंपरिक रूप से अभिदाता के स्तर के अनुरूप के अनिवार्य व्ययों को वहन करने के लिए।

(ङ) अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा व्यक्ति उस पर वास्तविक रूप से निर्भर व्यक्ति के द्वारा या उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का खर्च उठाने के लिए।

(च) अभिदाता के विरुद्ध कार्यालय में कदाचार का आरोप होने पर विभागीय जांच में अपने बचाव के लिए वकील का खर्च हेतु।

(छ) अभिदाता द्वारा अपने, अपनी पत्नी अथवा दोनों के नाम पर घर में अधिक निर्माण परिवर्तन बड़े स्तर पर मरम्मत या सुधार करने के व्यय हेतु।

(ज) अभिदाता द्वारा अपने नाम या अपने जीवन के लिए ली गई जीवन बीमा पालिसी की किस्म के भुगतान के लिए।

(झ) शारीरिक अपंग अभिदाता द्वारा अपनी अपंगता की कठिनाई कम करने के लिए आवश्यक उपकरण की खरीद के लिए अग्रिम।

(2) अगर अध्यक्ष विशिष्ट परिस्थितियों दर्शाये जाने पर संतुष्ट है कि अभिदाता को उप-विनियम (1) में दिए कारणों के अलावा की किसी अन्य कारण हेतु अग्रिम की आवश्यकता है तो वह मंजूरी दे सकते हैं।

(3) किसी भी अभिदाता को अग्रिम अलिखित रूप में दिखाये गये विशेष कारणों को छोड़कर उप-विनियम (1) दर्शाई गई सीमा से अधिक पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त का भुगतान करने से पहले नहीं दिया जाएगा।

(4) अगर किसी अभिदाता को उप-विनियम (3) के अंतर्गत पिछले अग्रिम के पूर्ण भुगतान होने के पहले ही दूसरा अग्रिम मंजूर कर दिया जाता है तो पिछले अग्रिम की बाकी रकम को वर्तमान अग्रिम के साथ संयुक्त करके किस्तों की राशि तय की जाएगी।

#### 16. अग्रिमों की वसूली :-

(1) अभिदाता से अग्रिम की वसूली मंजूरी प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई बराबर रकम की मासिक किस्तों में की जाएगी किन्तु जब तक अभिदाता न चाहे तब तक बारह से कम किस्तों तथा चौबीस से अधिक नहीं होंगी। विशेष

परिमित्यति में जबकि अग्रिम की राशि अभिदाता के तीन के वेतन से अधिक है तो मंजूरी प्राधिकारी किस्तों की संख्या चौबीस से अधिक कर सकते हैं किंतु यह संख्या छत्तीस से अधिक नहीं होगी। अभिदाता अगर चाहे तो किसी माह में एक से अधिक किस्त अदा कर सकता है। प्रत्येक किस्त पूर्ण रूप में होगी तथा अगर किस्तों की राशि तय करने के लिए आवश्यक होगा तो अग्रिम की राशि बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है।

(2) अभिदान की अदायगी के लिए विनियम-13 में दी गई रीति के अनुसार ही अग्रिम की वसूली की जाएगी तथा यह अग्रिम का भुगतान करने के माह के दूसरे माह से शुरू की जाएगी। जबकि अभिदाता निर्वाह अनुदान ले रहा हो अथवा किसी मास में बिना वेतन या अर्धवेतन पर 10 या उससे अधिक दिन की छुट्टी पर हो तो अग्रिम की वसूली अभिदाता की सम्मति के बिना नहीं की जायेगी। अभिदाता अगर लिखित में लेखा अधिकारी से अनुरोध करे तो उससे वसूल की जाने वाली राशि की वसूली स्थगित की जा सकती है।

(3) अगर किसी अभिदाता को अग्रिम मंजूर कर दिया जाता है तथा वह उसके द्वारा ग्रहण भी कर लिया जाता है, किंतु उसकी पूर्ण वसूली से पहले अध्यक्ष के द्वारा मंजूरी वापिस लेली जाती है तो ग्रहण किये गये अग्रिम की पूर्ण या बाकी रकम तुरंत ही सा.भ.नि. में वापस करना होगा तथा वैसे न करने पर अध्यक्ष के द्वारा आदेश देने पर उसकी वसूली अभिदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त रूप से अथवा अधिक से अधिक 12 मासिक किस्तों में की जायेगी : अग्रिम की मंजूरी वापिस लेने से पहले अभिदाता को पंद्रह दिन में लिखित रूप से यह स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा कि अग्रिम की वसूली क्यों नहीं जानी चाहिए। अगर यह स्पष्टीकरण उक्त पंद्रह दिन में दिया गया तो उसे अध्यक्ष महोदय को निर्णय देने के हेतु प्रस्तुत किया जाएगा किंतु अगर उक्त पंद्रह दिन में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो इस उप-विनियम में बताई गई रीति से अग्रिम की वसूली कर ली जाएगी।

(4) इस विनियम के अंतर्गत अग्रिम की वसूली करते ही सा.भ.नि. में अभिदाता के खाते में जमा कर दिया जायेगा।

#### 17. अग्रिम का दुरुपयोग :-

अगर अग्रिम मंजूर करने वाले प्राधिकारी को यह संदेह होमा कि अभिदाता को विनियम-15 के अंतर्गत जो अग्रिम की राशि सा.भ.नि. से मंजूर की गई है उसका उसने दुरुपयोग किया है तो उक्त प्राधिकारी अभिदाता को लिखित रूप में अपने संदेह का कारण बताते हुए यह कहेंगे कि वह पंद्रह दिन के अंदर यह बताए कि उसने अग्रिम का उपयोग उस कारण के लिए क्यों नहीं किया है जिसके लिए अग्रिम राशि मंजूर की गई थी। अगर मंजूरी प्राधिकारी उक्त अवधि में दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है तो वह अभिदाता को अग्रिम राशि तुरंत जमा करने का निर्देश देगा तथा वैसे

न करने पर आदेश द्वारा उनकी परिलब्धियों से एक मास तारी वसूली कर ली जाएगी चाहे अभिदाता छुट्टी पर हो। अगर की जाने वाली वसूली अभिदाता की कुल परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो उसकी परिलब्धियों के अर्धभाग के बराबर की किस्तों में सारी राशि वसूल कर ली जाएगी।

#### 18. सा.भ.नि. से आहरण :

उपयुक्त मंजूर प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय आहरण की राशि मंजूर की जा सकती है :—

(क) अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् (सेवा काल के टुकड़ों को शामिल कर) अथवा सेवा निवृत्ति की तिथि से दस वर्ष पहले (इन दोनों में जो भी पहले हो) से सा.भ.नि. में अपने खाते में जमा धनराशि निम्नलिखित उद्देश्यों में एक अथवा एक से अधिक के लिए :—

(अ) अभिदाता अथवा उसके किसी बच्चे की उच्च शिक्षा का व्यय भार तथा अगर आवश्यक हो तो यात्रा खर्च उठाने के लिए निम्नलिखित मामलों में :—

(i) हाईस्कूल स्तर से ऊपर विदेश में शैक्षिक तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए तथा

(ii) हाईस्कूल स्तर से ऊपर भारत में चिकित्सा, अभियांत्रिकी अथवा अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए,

(आ) अभिदाता अथवा उसके पुत्र या पुत्रियों अथवा उस पर वास्तविक रूप से निर्भर कोई अन्य रिश्तेदार उसके सगाई/विवाह आदि का व्यय वहन करने के लिए,

(इ) अभिदाता और उनके परिवार के सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से निर्भर कोई व्यक्ति की बीमारी का व्ययभार और अगर आवश्यक हो तो यात्रा खर्च वहन करने के लिए,

(ख) अभिदाता द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर (जिसमें सेवा काल के टुकड़े भी शामिल हैं) अथवा सेवा निवृत्ति की तारीख से 10 वर्ष के अन्दर इनमें जो भी पहले हो, नीचे लिखे उद्देश्यों में से एक या एक से अधिक की पूर्ति के लिए सा.भ.नि. में उसके खाते में जमा धनराशि में से,

(अ) अपने रहने के लिए घर बनाने अथवा बना बनाया घर खरीदने के लिए जिसमें जमीन की कीमत भी शामिल है,

(आ) अपने रहने के लिए अगर घर बनाने अथवा बना बनाया घर खरीदने के लिए ऋण में से व शेष राशि वापिस करने के लिए,

(इ) अपने रहने के लिए घर बनाने हेतु जमीन खरीद के लिए या इसके लिए लिया कर्ज की शेष राशि वापिस करने के लिए,

(1) अभिदाता के असेम कान का पुनर्निर्माण या परिवर्तन कराने के लिए,

(उ) कार्यक्षेत्र में अलग क्षेत्र में स्थित निवास स्थान या व्यास में कर्ज लेकर बनाया मकान का पुनर्निर्माण,

(ड) खण्ड (ए) के दृष्टिगत जमान पर घर बनाने के लिए,

(ग) अभिदाता के सेवा निवृत्त होने की तिथि के 15 माह के अन्दर सा.भ.नि. में अपने खाते में जमा धनराशि को कृषि भूमि या व्यापार परिसर अथवा दोनों खरीदने के लिए,

(घ) विनीय वर्ष के दौरान एक कर्मचारियों की स्व-वित्त पोषक और अंशदायी आधार पर सामूहिक बीमा योजना के लिए एक वर्ष के अभिदान के बराबर राशि।

(ङ) अभिदाता 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद (जिसमें अगर कोई सेवा अवरोध हों तो वे भी शामिल हैं) अथवा सेवा निवृत्त होने के, 15 वर्ष के अन्तर्गत मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि खरीदने अथवा उसने अगर इसके लिए बोर्ड से कर्ज लिया है तो इस हेतु वह धनराशि निकाल सकता है किन्तु मोटर कार खरीदने के लिए शर्त यह है कि वह कर्मचारी उप-प्रबंधक या उसके समतुल्य पद पर हो नभी वह मोटर कार खरीदने का पात्र है।

टिप्पणी :

अभिदाता अगर गृह निर्माण अभिग्राम लेना चाहता है अथवा बोर्ड द्वारा इसी प्रकार की किसी सहायता के लिए उचित ठहराया जाता है तो वह विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ) (स) (द) और (फ) के अन्तर्गत अंतिम आहरण राशि निकालने का पात्र होगा तथा वह कथित योजना के अन्तर्गत लिए गए कर्ज का भुगतान करने के लिए भी राशि निकाल सकता है जो विनियम 19 के उप-विनियम (1) के परन्तुक में बताई गई सीमा के अनुरूप होनी चाहिए।

अगर अभिदाता के पास पैवित्त मकान है अथवा वह अभिग्राम की सहायता/बोर्ड की सहायता से कार्यस्थल से कहीं और मकान बनाता है तो वह खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ), (स) और (फ) के अन्तर्गत गृह स्थल खरीदने अथवा अन्य कोई मकान बनाने या कार्यस्थल पर बना बनाया मकान खरीदने के लिए अंतिम रूप से धनराशि निकाल सकता है।

टिप्पणी : 2

अभिदाता खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ), (द) (ई) या (फ) के अन्तर्गत तभी धनराशि निकाल सकता है जब वह जो मकान बनाना चाहता है या मकान में जोड़-तोड़ या परिवर्तन करना चाहता है उसका नक्शा स्थानीय नगर-

231/G1/94-2

पालिका से अनुमोदित कराके प्रस्तुत करेगा जहां वह स्थल या मकान स्थित है। ऐसे मामला में तभी आहरण हो सकेगा जब नक्शा अनुमोदित होगा।

टिप्पणी : 3

खण्ड (ह) के उप-खण्ड (ब) के अन्तर्गत आहरित राशि राशि आहरण करने के दिन जेप राशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी जिसमें उप-खण्ड (अ) के अन्तर्गत आहरित की गई धनराशि शामिल है तथा पिछली बार निकाली गई राशि उसमें से कम कर दी गई है। अपनाई जाने वाली विधि यह है : 3/4 भाग (निश्चित तिथि को जेप राशि तथा प्रणमत मकान के लिए निकाली धनराशि का योग) तथा घटाएं पिछली बार आहरित की गई धनराशि (या)।

टिप्पणी : 4

खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ) और (द) के अन्तर्गत अगर गृह स्थल अथवा गृह पत्नी या पति के नाम पर है तो भी धनराशि निकाली जा सकती है वगैरें कि अभिदाता द्वारा उसे भविष्य निधि का आहरण करने के लिए पहला नामांकित व्यक्ति घोषित किया है।

टिप्पणी : 5

समान उद्देश्य के लिए केवल एक बार ही धनराशि निकालने की आज्ञा है किन्तु विवाह अथवा विभिन्न बालकों की शिक्षा या विभिन्न अवसरों पर बीमारी अथवा जहां पर अभिदाता का मकान है वहां की नगरपालिका से नक्शे का पुनः अनुमोदन कराने के बाद मकान में किए गए जोड़-तोड़ या परिवर्तन का समान उद्देश्य नहीं माना जाएगा। खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ) अथवा (फ) के अन्तर्गत दूसरी बार अथवा उसके बाद निकाली धनराशि उपयुक्त की पूर्ति के लिए टिप्पणी-3 में निश्चित की गई सीमा के अनुरूप मंजूर की जाएगी।

टिप्पणी : 6

इस विनियम के अन्तर्गत धनराशि का आहरण उस दशा में नहीं किया जा सकेगा अगर समान उद्देश्य तथा समान समय पर विनियम 15 के अन्तर्गत अभिग्राम मंजूर किया गया है।

19. आहरण की शर्त :—

(1) विनियम 18 में बताए एक या उससे अधिक उद्देश्यों के लिए किसी समय अभिदाता द्वारा आहरित की गई धनराशि साधारणतः सा.भ.नि. में उसके खाते में जमा राशि के आधे अथवा छः माह के वेतन इन दोनों में जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। फिर भी मंजूरी प्राधिकारी आहरण का उद्देश्य अभिदाता की हैसियत और सा. भ. नि. में उसके खाते में जमा राशि की मदद नजर



रखते हुए उपरोक्त सीमा के अधिक विविध सा.भ.नि. में अभिदाता कक्षा में कुल जमा राशि का 3/4 भाग तक आहरण मंजूर कर सकते हैं।

वित्तियम 18 के उप-वित्तियम (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिकतम आहरण किसी भी परिस्थिति में गृह निर्माण हेतु अग्रिम की समय-समय पर निश्चित की गई अधिकतम सीमा में अधिक नहीं होगा। अगर किसी अभिदाता ने न्यास में गृह निर्माण के लिए अग्रिम कोई अन्य सहायता ली है तो इस उप-वित्तियम के अन्तर्गत आहरित धनराशि तथा न्यास में ली गई अग्रिम धनराशि या गृह निर्माण के लिए अन्य सहायता समय-समय पर निश्चित की गई अग्रिम की अधिकतम धनराशि में अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी : 1

वित्तियम 18 के उप-वित्तियम (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (अ) के अन्तर्गत किसी अभिदाता को मंजूर की गई धनराशि किस्तों में भी दी जा सकती है जिसकी संख्या मंजूरी के दिन से बारह महीनों में चार किस्तों से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी : 2

अगर किसी अभिदाता को जमीन या मकान खरीदने के लिए या दिल्ली विकास प्राधिकरण या एन.राजकीय आवास परिषद अथवा गृह निर्माण सहकारी संस्था के द्वारा मकान आदि खरीदने के लिए किस्तों में भुगतान करना है तो जब जब उसे भुगतान की किस्त भरने के लिए कहा जायेगा तब तब उसे आहरण करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रकार का प्रत्येक भुगतान वित्तियम 19 के उप-वित्तियम (1) के अन्तर्गत एक विशेष लक्ष्य हेतु भुगतान माना जाएगा।

(2) अगर किसी अभिदाता की सा.भ.नि. में धन निकालने की अनुमति वित्तियम 18 के अन्तर्गत दी गई हो तो वह मंजूरी प्राधिकारी को उसके द्वारा निश्चित उपयुक्त समय में संतुष्ट करना होगा कि आहरित धन का उपयोग उसी कार्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह निकाला गया था तथा अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे समस्त आहरित धन अथवा उतना धन जितना उस कार्य के लिए उपयोग नहीं हुआ है जिस कार्य के लिए निकाला गया था एक मुश्त में मा.भ.नि. में जमा करना होगा और इस प्रकार से भुगतान न करने पर मंजूरी अधिकारी के आदेश पर परिलब्धियों से एक मुश्त में अथवा निश्चित की गई किस्तों में काटा जायेगा। इस उपवित्तियम के अनुसार आहरित राशि की कटौती करने के पूर्व अभिदाता को नोटिस मिलने के 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा कि क्यों कमी आहरित राशि की उसकी परिलब्धियों से वसूली कर ली

जाए। अगर मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता द्वारा दिए स्पष्टीकरण में संतुष्ट नहीं है अथवा अभिदाता ने पन्द्रह दिन में स्पष्टीकरण नहीं दिया है तो मंजूरी प्राधिकारी उप-वित्तियम में निर्दिष्ट राशि में आहरित धन की वसूली कर लेगा।

(3) (अ) निम्न अभिदाता को वित्तियम 18 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (अ)(ब) अथवा (ग) के अन्तर्गत मा.भ.नि. में उसके खाते में जमा धनराशि निकालने की अनुमति दी गई है वह निकाली गई धनराशि में सरादी गई जमीन या बनाया या खरीदा गया घर पर अधिकार अध्वन की पूर्वानुमति के बिना विक्रय बंधक (न्यास की बंधक के अतिरिक्त) उपहार वित्तियम अथवा अन्य प्रकार द्वारा नहीं छोड़ेगा। ऐसी अनुमति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं होगी।

(i) घर अथवा घर जमीन को तीन वर्ष से अधिक समय के लिए पट्टे पर न देना।

(ii) घर या घर जमीन किसी आवास परिषद, राष्ट्रीय-कृत बैंक, जीवन बीमा निगम अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में अन्य निगम के पास बंधक रखना जो नया घर बनाने अथवा वर्तमान घर में परिवर्तन कराने के लिए ऋण देता है।

(ब) अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पूर्व एक घोषणा पत्र देगा कि जो घर या घर जमीन उसके पास है अथवा बंधक रखी जा चुकी है अथवा पट्टे पर दे दी गई है और अगर आवश्यक हुआ तो मंजूरी प्राधिकारी के समक्ष उसके द्वारा निर्धारित तारीख को भूल विक्रय बंधक अथवा पट्टा पत्र और वे कागजात जिससे सम्पत्ति पर अभिदाता का स्वामित्व प्रमाणित होता है, प्रस्तुत करेगा।

(स) अगर सेवा निवृत्ति से पहले अव्यक्त की पूर्व अनुमति के बिना अभिदाता किसी सक्रिय पर अपना अधिकार छोड़ता है तो उसे सा. भ. नि. से निकाली गई समस्त धनराशि एक मुश्त रूप से जमा करनी होगी। अभिदाता ने अगर ऐसा नहीं किया तो मंजूरी प्राधिकारी इस संबंध में अभिदाता को स्पष्टीकरण देने का एक उचित अवसर देने के बाद अभिदाता की परिलब्धियों में से एक मुश्त रूप से अथवा मंजूरी अधिकारी द्वारा निर्धारित किस्तों में उक्त धनराशि वसूल कर लेगा।

टिप्पणी:—

अगर किसी अभिदाता ने न्यास से कर्ज लिया है तथा बदले में अपना घर अथवा घर जमीन न्यास के पास बंधक रखी है तो वह निम्नलिखित प्रकार से घोषणा करेगा:—

“मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि जिस घर अथवा घर-जमीन के निर्माण या अधिग्रहण के लिए मैंने भविष्य निधि से अंतिम आहरण लिया है वह मेरे ही कर्ज से है किंतु वह न्यास की बंधक है। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि जिस घर अथवा घर-जमीन के निर्माण या अधिग्रहण के लिए मैंने भविष्य निधि से अंतिम आहरण लिया है वह मेरे ही कर्ज से है किंतु वह न्यास की बंधक है।”



## 20. अधिम का आहरण में परिवर्तन:—

अगर एक अभिदाता ने विनियम-18 के उप-विनियम (1) में बताए गए किसी उद्देश्य के लिए विनियम-15 के अंतर्गत अधिम लिया है या भविष्य में लेगा तो वह अपनी इच्छानुसार विनियम 18 और 19 में दी गई शर्तों के पूरा करने पर मंजूरी प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अनुरोध करके शेष अधिम के अंतिम आहरण में परिवर्तित कर सकता है।

## 21. अभिदाता का खाता:—

प्रत्येक अभिदाता के नाम से एक खाता खोला जाएगा, खाते में निम्नलिखित प्रदर्शित होगा:—

(अ) अभिदाता का अभिदान

(ब) अभिदान पर व्याज

(स) सा. भ. नि. से अधिम और आहरण

प्रत्येक कर्मचारी का भविष्य निधि खाता नंबर उसके सेवा पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखा जाएगा।

## 22. नामांकन :—

(1) प्रत्येक अभिदाता सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनने के समय लेखा अधिकारी को एक या उससे अधिक व्यक्तियों का नामांकन भेजेगा जिन्हें उसकी मृत्यु के बाद निधि में उसके खाते में उस जमा राशि का अधिकार होगा जिसके देय होने से पहले अभिदाता की मृत्यु हो गई है या देय होने के बाद अभिदाता की मृत्यु के कारण भुगतान नहीं हुआ है। अगर अभिदाता अवयस्क है तो जब वह वयस्क होगा तभी उसके नामांकन करने का अधिकार होगा। अगर नामांकन करते समय अभिदाता का परिवार है तो वह अपने परिवार के ही किसी सदस्य या सदस्यों का नामांकन करेगा अगर सा. भ. नि. का सदस्य बनने से पहले अभिदाता किसी और भविष्य निधि का सदस्य था और उसने उस निधि का नामांकन किया था तथा उस भविष्य निधि में शेष धनराशि का सा. भ. नि. में स्थानांतरण हुआ था तो वही नामांकन वैध माना जाएगा जब तक कि इस विनियम के अनुरूप नामांकन नहीं किया जाएगा।

(2) अगर कोई अभिदाता एक से अधिक व्यक्तियों का नामांकन करता है तो उसे वह प्रत्येक को दिए जाने वाले भाग के बारे में इस प्रकार से बताना होगा ताकि किसी भी समय सा. भ. नि. के खाते में जमा समस्त धनराशि का पूरी तरह वितरण किया जा सके।

(3) अनुबंध ..... में दर्शाए गए प्रपत्र में ही प्रत्येक नामांकन करता होगा।

(4) अभिदाता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित में नोटिस भेजकर नामांकन निरस्त कर सकता है,

किंतु उसे इस नोटिस के साथ ही अथवा अलग से नया नामांकन पर इस विनियम में बताए प्रावधानों के अनुरूप भेजना होगा।

(5) अभिदाता नामांकन पत्र में निम्नलिखित व्यवस्था कर सकता है :—

(i) प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के संबंध में अभिदाता उन व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम भी निर्देशित कर सकता है जिन्हें अभिदाता से पहले नामांकित व्यक्ति के मर जाने पर उसे मिलने वाला धन लिया जायेगा। इस प्रकार का व्यक्ति वह होगा या होंगे जो अभिदाता के परिवार के सदस्य हैं अगर अभिदाता इस खण्ड के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों के नाम से नामांकन करता है तो उसे प्रत्येक को मिलने वाले भाग के विषय में भी इस प्रकार बताना चाहिए कि उसके खाते में उपलब्ध समस्त धनराशि का पूर्ण वितरण हो सके।

(ii) नामांकन नामांकन-पत्र में निर्देशित स्थिति में अमान्य समझा जाएगा। अगर नामांकन करते समय अभिदाता के परिवार में एक ही सदस्य है तो वह नामांकन-पत्र में यह व्यवस्था कर सकता है। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर खंड (अ) के अनुसार वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति को दिया गया अधिकार निरस्त हो जाएगा।

(6) उस नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के तत्काल बाद जिसके लिए उप-विनियम 5 के खण्ड (अ) के अंतर्गत नामांकन में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है अथवा उप-विनियम (5) के खण्ड (ब) के अनुसरण में उपर्युक्त उल्लेखित घटना घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाता है तो अभिदाता लेखा अधिकारी को नामांकन को निरस्त करने के लिए लिखित नोटिस तथा साथ ही इस विनियम के प्रावधानों के अनुरूप भेजेगा।

(7) अभिदाता के द्वारा दिया गया कोई भी नामांकन और नामांकन निरस्तीकरण का कोई भी नोटिस जिन सीमा तक मान्य है उस सीमा तक लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त होने के दिन से प्रभावी होगा।

टिप्पणी:—

इस विनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा प्रेषित न हो व्यक्ति या व्यक्तियों में कंपनी या संघ अथवा संस्था शामिल हैं चाहे वह निगमित हों या नहीं। उपर्युक्त प्राधान मंत्री राष्ट्रीय राहण कोष अथवा दानधन या न्यास अथवा निधि भी शामिल होंगे। उपरोक्त निधि या न्यास के प्रति नामांकन उप सचिव या अन्य कार्यपालक अधिकारी के नाम होगा जिसे निधि या न्यास के नाम से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।

## 23. निधि में जमा धनराशि का अंतिम आहरण:—

(1) जब एक अभिदाता सेवक से त्याग पत्र देगा तो सा. भ. नि. में उसके खाते में जमा धनराशि उसे देय

हा जाएगी। अगर अभिदाता की सेवाएँ समाप्त करने के बाद उसे सेवा में वापिस ले लिया जाता है तो अगर न्याय चाहेगा तो उसे इस विनियम के अनुसरण में ग्राह्य-भोजन से उसकी दो गई समस्त धनराशि उस पर विनियम-14 में बताई दर से व्याज सहित उस विनियम (2) में बताई गरीबों के अनुसार वापिस करनी होगी। इस प्रकार वापिस का यह धनराशि निधि में अभिदाता के खाने में जमा दर पर दी जाएगी।

(2) जब कोई अभिदाता:

(अ) सेवा निवृत्ति की तैयारी में छुट्टी पर जाता है अथवा

(ब) छुट्टी पर है तथा उस दौरान उसे सेवा-निवृत्ति देने की अनुमति दे दी जाती है अथवा उसे योग्य अधिकारी द्वारा भविष्य में सेवा करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

तो सा. भ. नि. में उसके खाने में जमा कुल धनराशि उसके द्वारा लेखा अधिकारी को उस विषय में आवेदन देने पर देय हो जाएगी। अगर अभिदाता सेवा में वापस लौट आता है और अगर न्यास दूसरा निर्णय न ले तो उसको इस विनियम के अनुसरण में सा. भ. नि. में दो गई धनराशि विनियम-14 में बताई गई दर से व्याज के साथ सा. भ. नि. में अपने खाने में नकद या प्रतिभूतियों में अथवा आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से प्रतिभूतियों से या परिवर्धियों, किराये या अन्य किसी रूप से जमा करनी होगी जैसे भी लेखा अधिकारी निर्देश दें।

(3) अभिदाता को अपने खाने में जमा राशि के देय होने से पहले या देय होने के बाद भुगतान से पहले मृत्यु होने पर:

(I) अगर अभिदाता अपने पीछे परिवार छोड़ता है:

(अ) अगर अभिदाता द्वारा विनियम-22 या इस जैसे पहले से लागू किसी अन्य विषय के अनुरूप अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के प्रति किया गया नामांकन लागू हो तो सा. भ. नि. में उसके खाने में जमा समस्त राशि नामांकन में निर्देशित उसका भाग नामांकन में निर्देशित सदस्य या सदस्यों को निर्देशित भाग में देय हो जाएगी।

(ब) अगर अभिदाता ने अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के प्रति कोई नामांकन नहीं किया है अथवा यह नामांकन सा. भ. नि. में उसके खाने में जमा धनराशि के किसी एक भाग से संबंधित है तो सा. भ. नि. में अभिदाता के खाने में जमा समस्त धनराशि या धनराशि का वह भाग जिसका नामांकन किसी परिवार के सदस्य के प्रति नहीं है। सभी सदस्यों में बराबरी से वितरित कर दिया जाएगा। भले ही उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति नामांकन दिया गया हो अगर निम्नलिखित ऋण (1), (2), (3) तथा (4) में बताए गए सदस्यों के अलावा परिवार का कोई सदस्य जीवित है। निम्नलिखित व्यक्ति को कोई भाग नहीं दिया जाएगा।

- (1) वालिग पुत्रों को
- (2) स्वर्गवासी पुत्र के वालिग पुत्रों को
- (3) वे विवाहित पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हैं
- (4) स्वर्गवासी पुत्र की वे विवाहित पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हैं।

स्वर्गवासी पुत्र की विधवा या विधवाएँ तथा वधवा अथवा बन्धे उस भाग के बराबर भागीदार होंगे जो अभिदाता का पुत्र को जीवित होने पर प्राप्त होता।

(II) जब अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता है तो यदि अपने विनियम-22 अथवा इसमें पड़ने लागू तत्संबंधित नियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति नामांकन किया है तो सा. भ. नि. में उसके खाने में जमा धनराशि या उसका भाग नामांकन पत्र में नामित व्यक्ति या व्यक्तियों में निर्देशित भाग में वितरित कर दिया जाएगा।

24. जमा योग्य कीमत योजना :—

अभिदाता की मृत्यु होने पर अभिदाता के खाने में उपलब्ध धनराशि को प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति का चेत्ता अधिकारी अभिदाता के खाने में उसकी मृत्यु से पहले 3 वर्ष में जमा रहो औसत धनराशि के बराबर अतिरिक्त धनराशि का भी भुगतान निम्नलिखित शर्त पर करेगा—

(अ) अभिदाता के खाने में जमा राशि उसकी मृत्यु से पहले 3 वर्ष में किसी समय निम्नलिखित सीमा से कम नहीं होगी।

- (i) उस अभिदाता के लिए जिसने मृत्यु से पहले तीन वर्ष में पहली श्रेणी के पद अधिकतर पर था :  
रु. 4,000/-
- (ii) उस अभिदाता के लिए जिसने मृत्यु से पहले तीन वर्ष में अधिकतर दूसरी श्रेणी के पद पर था :  
रु. 2,500/-
- (iii) उस अभिदाता के लिए जिसने मृत्यु से पहले तीन वर्ष में अधिकतर तीसरी श्रेणी के पद पर था :  
रु. 1,500/-
- (iv) उस अभिदाता के लिए जिसने मृत्यु से पहले तीन वर्ष में अधिकतर चौथी श्रेणी के पद पर था :  
रु. 1,000/-

(ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय अतिरिक्त धनराशि 10,000/- से अधिक नहीं होगी।

(स) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो।

टिप्पणी 1 : अभिदाता की मृत्यु होने के समय से पूर्व 36 माह के प्रत्येक महिने के अन्त में जो धनराशि उसके खाने में उपलब्ध थी उसे आधार मानकर औसत धनराशि निकाली जाएगी। इस उद्देश्य हेतु तथा उपर्युक्त न्यूनतम धन राशियों की जाँच के लिए :

(अ) भाग के अन्त में जमाकृत राशि में वित्तियम— 14 के अनुसार जमा वाणिज्य व्याज का भी समावेश होगा।

(ब) अगर उपरोक्त 30 माह का सी. भ. नि. माह मार्च नहीं है तो इस अभिदाता के अन्त में जे. वल राशि में वह व्याज भी शामिल होगा जो उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निरुद्ध मृत्यु के माह के अन्त तक देय होगा जिसमें अभिदाता की मृत्यु हुई है।

टिप्पणी 2 : इस योजना के अन्तर्गत भुगतान पूर्ण रूप से किया जाएगा। अगर देय राशि में कपड़े कोई भाग है तो उसे निकटतम रुपये में बदल दिया जायेगा। (जैसे 50 पैसे को एक रुपया गिना जाएगा।)

टिप्पणी 3 : इस योजना के अन्तर्गत देय राशि बीमा धन है। इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा-3 के द्वारा दिया गया विधि संरक्षण इस योजना में प्रदत्त धनराशि पर लागू नहीं है।

टिप्पणी 4 : यह योजना सा. भ. नि. के उन अभिदाताओं पर भी लागू होगी जो स्वायत्तशासी संगठनों में स्थानान्तरित किए गए हैं तथा जिन्होंने ऐसे स्थानान्तरण पर इन विनियमावली अनुरूप इस सामान्य भविष्य निधि में अभिदान हेतु विकल्प देने पर विकल्प दिया था।

टिप्पणी 5 : (अ) जब किसी कर्मचारी को विनियम— 3 के उप-विनियम (1) और (2) के अन्तर्गत सा. भ. नि. के लाभों का हकदार बनाया गया है और वह कर्मचारी सा. भ. नि. का सदस्य बनने के अथवा पांच वर्ष पूर्ण होने के पहले ही मृत्युमुखी हो जाता है तो खंड (अ) और खंड (स) के अन्तर्गत तीन वर्ष या पांच वर्ष को गिनने में पिछले नियोजक के यहां की गई सेवा अवधि को भी गिना जायेगा अगर उस अवधि में दिया गया अभिदान और नियोजक का अंगदान उस पर व्याज के साथ सा. भ. नि. में प्राप्त होगा।

(ब) इस विनियम के अन्तर्गत निश्चित अवधि के लिए नियुक्त व्यक्ति या पेंशन ग्रहण करने के बाद फिर से नियुक्त व्यक्ति का सेवा काल ऐसी नियुक्ति से लागू होगी।

(स) करार के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के ऊपर यह योजना लागू नहीं होती है।

25. सा. भ. नि. की धनराशि के भुगतान की रीति :

(1) जब अभिदाता के सा. भ. नि. के खाने में जमा धनराशि का देय होती है तो लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य है कि उप-विनियम (3) में दिये गये निर्देशों के अनुसार अभिदाता से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर उसका भुगतान करें।

(2) किसी अभिदाता को इस विनियमावली के अन्तर्गत कोई धनराशि अथवा बीमा देय है और वह पांगल है तथा उसकी सम्पत्ति के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अन्तर्गत प्रबंधक नियुक्त किया गया है तो उस अभिदाता

का मिलन वाला भुगतान या बीमा उसके प्रबंधक को ही दिया जाएगा कि अभिदाता नहीं। जिस अभिदाता व्यक्ति का किसी धाराणि भुगतान किया जाता है उसे दस्तावेजों में पांगल प्रमाणित किया हो और उसकी सम्पत्ति के लिए कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया हो तो वनस्पति के आदेशानुसार भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 की धारा-95 की उप-धारा (1) के अनुसार धनराशि का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा जिसके अधिकार में वह अभिदाता है। लेखा अधिकारी को उतना ही भुगतान करे जितना कि वह ठीक समझे तथा बची हुई धनराशि या उसका भाग जो वह ठीक समझे अभिदाता के पर आश्रित परिवारों जनों के भरण-पोषण के लिए दिया जायेगा।

(3) जमा धनराशि का भुगतान केवल भारत में ही किया जायेगा। जिस व्यक्ति को भुगतान देय है वह उस भुगतान को भारत में ही ग्रहण करने की व्यवस्था करेंगे। अभिदाता द्वारा भुगतान ग्रहण करने की निम्नलिखित विधि रहेगी :—

(i) अभिदाता सा. भ. नि. जमा धनराशि निकालने के लिए प्रार्थना पत्र देखके कार्यालय प्रमुख प्रत्येक अभिदाता को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि एक वर्ष पूर्व अथवा अगर प्रत्याशित सेवा निवृत्ति पहले है तो उसके पहले ही इस निदेश के साथ आवश्यक प्रपत्र भेजेगा कि उन्हें प्राप्त होने के दिन से एक माह के अन्दर उन्हें वापस भेज दिया जाए। अभिदाता अपना सा. भ. नि. से धनराशि निकालने के लिए आवेदन पत्र कार्यालय प्रमुख या विभागाध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को भेजेगा। आवेदन पत्र उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि या उससे पूर्व सेवानिवृत्ति की प्रत्याशित तिथि से पहले वर्ष समाप्ति की लेखा विवरणी में दी गई सा. भ. नि. खाने में जमा राशि निकालने के लिए होगा अथवा अगर अभिदाता को लेखा विवरणी प्राप्त नहीं हुई है तो उसके वही खाने में जमा धनराशि निकालने के लिए होगा।

(ii) कार्यालय प्रमुख लेखा अधिकारी को आवेदन पत्र में लेखाधिकारी के द्वारा अभिदाता को भेजी गई उसके खाने की पिछली लेखा विवरणी के बाद समय में देय अधिमों की वसूलियां वसूल की जाने वाली बाकी किस्तों तथा खाते में से निकाली गई धनराशि का विवरण उंगित करने हुए अंग्रेजित करेगा।

(iii) लेखा अधिकारी आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण का उसके वही खाते में उपलब्ध विवरण के साथ मेलान करके सेवा निवृत्ति की तिथि से एक माह पूर्व अभिदाता के खाते में जमा राशि के भुगतान का प्राधिकार जारी करेंगे किन्तु यह धनराशि सेवा निवृत्ति के दिन देय होगी।

(iv) खण्ड (iii) में जारी किये प्राधिकार में लिखित धनराशि भुगतान की पहली किस्त भुगतान के लिए दूसरा प्राधिकार सेवा निवृत्ति के बाद यथाशीघ्र जारी किया जायेगा। यह प्राधिकार खण्ड (i) के अन्तर्गत दिये गये आवेदन पत्र में प्रदर्शित धनराशि व से अधिक अभिदान शेष अधिमों की बाकी किस्तों की वसूलियों से संबंधित होगा।

(V) नैरा अधिकाारी को अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र अर्पित करने के पश्चात् भी अग्रिम/आहरण भुगतान कर दिया जा सकेगा किन्तु यह आहरण/अग्रिम नैरा अधिकाारी के द्वारा प्राधिकार देने के बाद ही दिया जायेगा। मजूरी प्राधिकारी की औपचारिक स्वीकृति के प्राप्त होने पर लेखा प्राधिकारी तथा और भुगतान उपलब्ध करायेगा।

टिप्पणी :

जब विनियम-23 के अन्तर्गत अभिदाता के खाते में जमा धनराशि देय होती है तो लेखा अधिकारी उप-विनियम (3) में बताई गई रीति से धनराशि का तुरन्त भुगतान करने के लिए प्रावधान करेगा।

### अध्याय III : अंशदाई भविष्य निधि (अ. भ. नि.)

#### 26. अंशदाई भविष्य निधि की संरचना :—

इस अध्याय के विनियमावली के अन्तर्गत अ. भ. नि. में भुगतान की गई सभी प्रकार की धनराशियों को जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी अंशदाई भविष्य निधि (अ. भ. नि.) नामक खाते में जमा होगी।

#### 27. पावता की शर्तें :—

न्यास निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों को अंशदाई भविष्य निधि का सदस्य स्वीकार करता है।

(1) वह व्यक्ति जो सीमित अवधि के लिए अनुबंध अथवा ट्रेके पर नियुक्त किया गया है।

(2) वह व्यक्ति जो किसी अन्य अंशदाई भविष्य निधि का सदस्य है तथा न्यास के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।

(3) वह व्यक्ति जो न्यास के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्त होते समय 35 वर्ष का हो चुका है तथा जिसने अंशदाई भविष्य निधि में शामिल होने का विकल्प दिया है।

#### 28. अभिदाता का खाता :

प्रत्येक के अभिदाता के नाम पर एक खाता खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित किया जाएगा :—

(1) अभिदाता का अभिदान

(2) अभिदाता के खाते में विनियम-30 के अन्तर्गत किया गया अंशदान

(3) अभिदानों पर विनियम-32 के अन्तर्गत दिया गया ब्याज

(4) अंशदानों पर विनियम-32 के अन्तर्गत दिया गया ब्याज

(5) अ. भ. नि. में लिए गए गए अग्रिम आर आहरण

#### 29. अभिदान की दरें :—

अ. भ. नि. के अभिदान की दरों को निश्चित करने के लिए विनियम-10 के सभी प्रावधान आवश्यक परिस्थितियों सहित लागू होंगे केवल मासिक अभिदान की दर अभिदाना की कुल परिलब्धियों के 10 प्रतिशत से कम तथा कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होंगी।

#### 30. न्यास का अंशदान :—

न्यास प्रत्येक अभिदाता के खाते में प्रति वर्ष 31 मार्च को अंशदान देगा जो उसके परिलब्धियों के 10 प्रतिशत के बराबर देगा। सेवा छोड़कर जाने वाले अथवा मृत्युमुखी होने वाले कर्मचारियों के मामले में न्यास का अंशदान नौकरी छोड़ने अथवा स्वर्गवास के दिन तक दिया जायेगा। देश अंशदान की राशि निकटतम रूपों में की जाएगी जैसे कि पचास पैसे या अधिक रकम के स्थान पर एक रुपया तथा पचास पैसे से कम रकम को छोड़ दिया जायेगा।

#### 31. उपदान :—

(1) विनियम-30 में दर्शाए गए न्यास के अंशदान के अलावा अभिदाता को उसके द्वारा दी गई अच्छी कार्यकुशलता पूर्ण तथा स्वाभिभक्ति पूर्ण सेवाओं के लिए विशेष अंशदान/उपदान भी दिया जायेगा। उपदान निम्नलिखित अभिदाता के खाते में जमा किया जाएगा :—

(i) जो पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद पद समाप्ति के कारण सेवा मुक्त किया जाएगा।

(ii) 30 वर्ष की सेवा करने के बाद सेवा निवृत्त होगा।

(iii) पांच वर्ष की सेवा के बाद शारीरिक या मानसिक विपन्नता के कारण स्थायी अयोग्य होने पर सेवा निवृत्त होगा।

(iv) कम से कम 15 वर्ष के सेवाकाल के बाद सेवा निवृत्ति की प्राप्ति होने पर सेवा निवृत्त होगा।

उस अभिदाता को उपदान देय नहीं होगा जो :—

(I) त्याग पत्र देगा अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप जमकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी, एव

(II) सेवा निवृत्ति के बाद पुन. नौकरी पर नियुक्त हुआ है।

(2) उपदान पूर्ण की गई योग्य सेवाओं के प्रत्येक छः माह के लिए परिलब्धियों के एक चौथाई भाग की दर से दिया जायेगा। उपदान की अधिकतम सीमा सेवा निवृत्ति के दिन देय परिलब्धियों का 16-1/2 गुना या एक लाख रुपए इन दोनों में जो भी कम हो उसके बराबर होगा।

(3) सेवाकाल में ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर देय मृत्यु उपदान निम्नलिखित सारणी में दी गई दरों के अनुसार दिया जाएगा :—

सेवा अवधि	परिवार का देय मृत्यु उपदान
(i) एक वर्ष से कम	परिलिखियों का 2 गुना
(ii) एक वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलिखियों का 6 गुना
(iii) 5 वर्ष और उससे अधिक परिलिखियों का 12 गुना किन्तु 20 वर्ष से कम	
(iv) 20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हता सेवा के प्रत्येक छ माह के लिए परिलिखियों के आधे ने बराबर जिसकी अधिकतम सीमा परिलिखियों का 33 गुना अथवा एक लाख रुपए इन दोनों में से जो भी कम हो।

(4) इस विनियम के अन्तर्गत देय उपदान विनियम-33 के अन्तर्गत किसी कटौती के बाद—

(अ) अभिदाता को सेवा निवृत्ति पर

(ब) अगर अभिदाता की मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार को निम्नलिखित वरीयताक्रम के अनुसार दिया जाएगा :

पहली कोटि :

- (i) पुरुष कर्मचारी के मामले में कानूनन तलाक-शुदा सहित पत्नी अथवा पत्नियां धर्म-पत्नी या पत्नियां
- (ii) महिला कर्मचारी के मामले में कानून तलाक-शुदा पति समेत पति
- (iii) सौतेले तथा दत्तक पुत्रों
- (iv) सौतेली तथा दत्तक पुत्रियों सहित सभी अविवाहित पुत्रियां।

दूसरी कोटि :

- (v) सौतेली तथा दत्तक पुत्रियों सहित सभी विधवा पुत्रियां
- (vi) पिता
- (vii) माता
- (viii) अठारह वर्ष से कम उम्र के सौतेले भाई सहित सभी भाई, सौतेली बहनें सहित
- (ix) अविवाहित बहनें तथा विधवा बहनें
- (x) विवाहित पुत्रियां और
- (xi) स्वर्गवासी पुत्र के बच्चे

(5) नामांकन/मान्य नामांकन के न होने पर भुगतान :—

अभिदाता की मृत्यु होने पर देय उपदान या मृत्यु उपदान की धनराशि पहली कोटि में वर्णित गए उमर समूहों के परिवार जनों में समान रूप से बांट दी जाएगी। अगर दूसरी कोटि में कोई भी परिवारजन जीवित नहीं होगा तो यह धनराशि दूसरी कोटि में वर्णित गए समूहों के परिवारजनों में समान रूप से बांट दी जाएगी।

32. व्याज :—

न्यास सभी अभिदानों तथा न्यास के अंशदान पर वार्षिक चक्रवृद्धि दर में व्याज देगा। व्याज की दर न्यास द्वारा समस्त समय पर निश्चित की जाएगी यह व्याज प्रतिमान जमा राशि के आधार पर निकाल कर अभिदाता के खाने में प्रतिवर्ष 31 मार्च को जमा कर दी जाएगी।

33. न्यास के अंशदान से कटौती :

(1) इस शर्त के साथ कि न्यास द्वारा विनियम-30 तथा 32 के अन्तर्गत दिए गए अंशदान तथा उस पर व्याज से अधिक कटौती नहीं की जायेगी अ.भ.नि. के किसी सदस्य खाते में जमा धनराशि का भुगतान करने से पहले न्यास लिखित निम्न कटौती करने के निदेश दे सकता है :—

(i) अगर अभिदाता कदाचार दिवालियेपन अथवा अकुशलता के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है तो न्यास का अंशदान तथा उस पर व्याज सहित समस्त धनराशि ली जाएगी। अगर अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हैं कि इस प्रकार की कटौती अभिदाता को अपवाद रूप से कष्ट पहुंचाएगी तो वे लिखित रूप से आदेश देकर उस अभिदाता को इतनी चिकित्सा आधार पर सेवा निवृत्त होने पर मिलने वाले न्यास के अंशदान तथा उस पर व्याज की दो तिहाई राशि को कटौती से मुक्त कर सकते हैं। अगर अभिदाता को नौकरी से निकाल देने का आदेश निरस्त हो जाता है तो उनके खाते में काटी गई धनराशि उसके अ.भ.नि. खाते में जमा कर दी जाएगी।

(ii) अगर कोई अभिदाता सेवा प्रारम्भ होने के दिन से पांच वर्ष के अन्दर सेवा में त्यागपत्र देता है या मृत्यु सेवा निवृत्ति चिकित्सा अधिकारी द्वारा सेवा करने के अयोग्य ठहराने पर पद समाप्ति पर या प्रतिष्ठान में कटौती के अलावा अन्य किसी कारण से सेवा से वारित किया जाता है तो न्यास के अंशदान एवं उस पर व्याज की समस्त राशि की कटौती कर ली जाएगी।

(iii) अभिदाता द्वारा न्यास को देय कोई धनराशि न्यास के अंशदान व उस पर व्याज में से काट ली जाएगी।



(2) उपरोक्त धनराशि जो किस्म के बर्ष में न्याय के द्वारा जप्त की गई है वह न्याय को भर्षाई होगा।

(3) अगर कोई अभिदाता पचन न्याय को निम्नलिखित का हान अथवा अन्य अनियमितता में संभावित है जिसका ज्ञापन का ज्ञा होता है तो न्याय को अज्ञात तथा उस पर न्याय का भुगतान जो पुर हान तक होवे होगा अगर न्याय में कुछ है कि जो न के निष्पत्ति प्राप्त होत तक इतना करके को आवश्यकता नहीं है तो भुगतान नहीं रोक जायेगा।

34. अध्याय 2 के विनियमों का उपादेयता :

जितना कि विनियम-26 के विनियम-33 में दिया है उसको छोड़कर अध्याय 2 के विनियमों के बाकी सभी प्रावधान अ.स.वि. के अभिदाता पर भी लागू होंगे।

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 1994

G.S.R. 35E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Provident Fund) Regulations, 1994 by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016/14/92-PE. 1]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

### JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST EMPLOYEES (PROVIDENT FUND) REGULATIONS, 1994

In exercise of the power conferred by sub-section (b) of Section 28 of the Major Port Trust Act 1963, the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations namely :—

#### CHAPTER I

##### General

1. Short title.—These regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Employees (Provident Fund) Regulations 1994.

2. Definition.—(1) In these Regulations unless the context otherwise requires :—

(i) 'Board', 'Chairman', 'Dy. Chairman' and 'Head of Deptt.' shall have the same meaning as assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963.

(ii) 'Accounts Officer' means the officer to whom the duty to maintain the Provident Fund has been assigned by the Chairman from time to time.

(iii) 'Contributory Provident Fund (C.P.F.)' means the Provident Fund the subscriber to which is entitled to the Board Contribution and gratuity subject to admissibility under Regulations 30 and 31 respectively.

(iv) 'Emoluments' means pay, leave salary, subsistence grant or any other remuneration of the nature of pay.

Note.—The word "Pay" for the purpose of Contributory Provident Fund in respect of Class III or Class IV employee comprises :—

(a) All payments which come within the ambit of the definition of Pay given in sub-regulation (18) of Regulation 2 of Jawaharlal Nehru Port Trust Employees Pay and Allowances Regulations 1993.

(b) Any other payments which are not covered by such definition but which come within the ambit of the definition of "basic wages" given in Section 2(b) of the Employees' Provident Funds Act, 1952.

(c) Dearness Allowance.

(d) Compensatory (City) Allowance.

(v) 'General Provident Fund (G.P.F.)' means the Provident Fund the subscriber of which is entitled to the pension subject to the admissibility under the pension scheme as applicable to the employees.

(vi) 'Family' means.—(I) In the case of a male subscriber the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sister, deceased son's widow and children, where no parents of the subscriber is alive a paternal grant parent. If a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family. The subscriber may subsequently intimate in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be regarded as a member of his family.

(II) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive a paternal grant parent. If a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family. The subscriber may subsequently cancel such notice in writing.

Note.—Child means a legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the Personal Law governing the subscriber.

(vii) 'Leave' means any kind of leave granted under the J.N.P.T. employees Leave Regulations 1993.

(viii) 'Moiety' means the moiety as defined in the Civil Procedure Code.

(ix) 'Year' means a financial year.

(2) Any other expression used in these Regulations which is defined in the Provident Funds Act 1925 (19 of 1925) or in the J.N.P.T. Employees (Pay and Allowances) Regulations, 1993 is used in the sense therein defined.

(3) Nothing in these Regulations shall be deemed to have the effect of terminating the existence of the Provident Fund as hitherto existing or of constituting any other fund.

3. Transfer of accumulation from one fund to another.—

(1) If an employee who is a subscriber to any other non-contributory Provident Fund under the control of a Government or an autonomous Organisation registered under the Societies Registration Act, 1860, is permanently transferred to pensionable service of the Board, the amount of subscriber together with interest thereon standing to his credit in such other fund on the date of transfer shall be transferred to his credit in the GPF with the consent of that body.

(2) If an employee, who is a subscriber to any other Contributory Provident Fund of a body referred in Sub-regulation (1) is transferred to pensionable service of the Board and unless such a subscriber selects to continue to be governed by the rules of Contributory Provident Fund, when such an option is given :—

(i) The amount of subscriptions with interest thereon standing to his credit in such contributory Provident Fund on the date of transfer shall, with the consent of that body, be transferred to his credit in the GPF.



leave or was under suspension on that date his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty and if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India.

- (ii) In the case of a subscriber who was not in the service of the Board on the 31st March of the preceding year the emoluments to which he was entitled on the day he joins the GPF.

(3) The subscriber shall intimate to the Accounts Officer the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner :—

- (i) If he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he wishes to make in this behalf from his pay bill for that month ;

- (ii) If he was on leave on the 31st March of the preceding year and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on that date by the deduction which he wishes to make in this behalf from his first pay bill after his return to duty ;

- (iii) If he has entered service of the Board for the first time during the year, by the deduction which he wishes to make in this behalf from his pay bill for the month during which he joins the fund ;

- (iv) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he wishes to make in this behalf from his salary bill for that month ;

- (v) If he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him or by his foreign employer into his account on account of subscription for the month of April in the current year ;

(4) The amount of subscription so fixed may be

- (i) Reduced once at any time during the course of the year ;

- (ii) enhanced twice during the course of the year ; or

- (iii) reduced and enhanced as aforesaid; when the amount of subscription is reduced it shall not be less than the minimum prescribed in sub-regulation (1). If a subscriber is on leave without pay or leave on half-pay for a part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

13. Realisation for subscription.—(1) When emoluments are drawn from the Board recovery of subscription on account of these emoluments and the repayment of advances shall be made from the emoluments themselves.

(2) When employments are drawn any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer. In the case of a subscriber on foreign service the subscription shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by Foreign Body.

(3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the GPF or is on default in any other month or months during the course of a year otherwise than is provided in regulation 11, the total amount due to the GPF on account of arrears of subscription shall with interest thereon at the rate provided in regulation 14 forthwith be paid by the subscriber to the GPF or in default be ordered by the Accounts Office to be recovered by deduction from the emoluments of the sub-

scribe in instalments or otherwise as may be directed by the Accounts Officer.

Subscribers whose deposits in the GPF carry no interest shall not be required to pay any interest.

14. Interest.—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) the Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year.

(2) Interest shall be credited with effect from last day in each year in the following manner :—

- (i) On the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year interest for twelve months.

- (ii) On sums withdrawn during the current year :

Interest from the beginning of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal.

- (iii) On all the sums credited to the subscriber's account after the last date of the preceding year :

Interest from the date of deposit upto the end of the current year.

- (iv) The total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise counting as the next higher rupee).

When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable interest shall thereupon be credited under this regulation in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber became payable.

(3) In this regulation the date of deposit shall in the case of recoveries from emoluments be deemed to be the first day of the month in which it is recovered and in the case of amounts forwarded by the subscriber shall be deemed to be the first day of the month of receipt if it is received by the Accounts Officer before the fifth day of that month but if it is received on or after the fifth day of that month the first day of the next succeeding month. Where there has been delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently in the recovery of his subscription towards the GPF the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or the leave salary of the subscriber was due under the regulations irrespective of the month in which it was actually drawn. In the case of an amount forwarded by a foreign employee in respect of an employee on foreign service the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Accounts Officer before the fifteenth day of that month. Where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall in the case of recovery of his subscription be deemed to be the first day of the succeeding month.

(4) In addition to any amount to be paid under Regulation 23 interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made or upto the end of the six months after the month in which such amount became payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid. Where the Accounts Officer has intimated to that person (or his agent) a date on which he is prepared to make payment in cash or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only up to the end of the month preceding the date so intimated, or the date of posting the cheque, as the case may be.

Where a subscriber on foreign service to a body owned or controlled by a Government or an autonomous organisation registered under the 'Societies Registration Act, 1860 (22 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the GPF accumulations of the subscriber the date of issue of the

[Part III 3(1)]

[Part III 3(1)]

- (ii) The amount of employer's contribution with interest thereon standing to his credit in such Contributory Provident Fund shall, with the consent of the body be credited to the revenues of the Board ; and
- (iii) He shall thereupon be entitled to count towards pension, service rendered prior to the date of permanent transfer to the extent permissible under the pension rules.

Note 1.—The provisions of this regulation do not apply to a subscriber who has retired from the body referred in the regulation and is subsequently reemployed with or without a break in service of the Board or to a subscriber who was holding the former appointment on contract under that body.

Note 2.—The provisions of this regulation shall apply to persons who are appointed without break whether temporarily or permanently to a post under the Board after resignation or retirement from service under the body referred in the regulation.

(3) If a subscriber to the GPF is subsequently admitted to the CPF the amount of his subscription together with interest thereon shall be transferred to the credit of his account in the CPF.

Note.—The provisions of this sub-regulation do not apply to a subscriber who is appointed on contract or who had retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service.

(4) This regulation shall apply mutatis mutandis in cases of transfer of an employee from the service of the Board to the service of a body referred in the regulation.

4. Investment of Provident Fund.—All monies in the GPF/CPF shall be so invested in accordance with the guidelines issued by the Central Government as to earn the maximum return.

5. Annual statement of accounts.—As soon as possible after the close of each year the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date.

6. Delegation of Powers.—The Chairman may appoint the authorities which will exercise the powers conferred on the Accounts Officer under these Regulations. Different authorities may be specified for different purposes.

7. Interpretation.—(1) All questions relating to the interpretation of these Regulations will be referred to the Board who shall be guided by the provisions of the Provident Funds Act, 1925, the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960 and Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 and orders issued thereunder to the extent they are not contrary to the provisions of these Regulations or any order issued by the Government of India for application to the employees of the Board for the purposes of these Regulations.

8. Relaxation of the provisions of the Regulations in individual cases.—When the Chairman is satisfied that the operation of any of these Regulations causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber he may notwithstanding anything contained in these Regulations deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to him to be just and equitable and make a report to the Board.

## CHAPTER II

### GENERAL PROVIDENT FUND (GPF)

9. Constitution of the GPF.—(1) The GPF shall be maintained in rupees.

become payable under these Regulations shall be transferred to Deposits at the end of the year and treated under the rules relating to deposits.

10. Conditions of Eligibility.—All temporary employees after a continuous service of one year, all permanent employees and all re-employed Pensioners (other than those eligible for admission to the GPF) shall subscribe to the GPF. No employee who has been required or permitted to subscribe to a GPF shall be eligible to join the GPF while he retains his right to subscribe to CPF.

Note :

- (i) Probationers shall be treated as temporary employees.
- (ii) A temporary employee who completes one year of continuous service during the middle of a month shall subscribe to the GPF from the subsequent month.
- (iii) Temporary employees who have been appointed against regular vacancies and are likely to continue for more than a year may subscribe to the GPF any time before completion of one year.
- (iv) An employee transferred from referred in Sub-regulation (1) of regulation (3) shall be eligible to join the General Provident Fund immediately, if he has already completed one year service under that body.
- (v) When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India he shall remain subject to the Regulations of the GPF in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

11. Conditions of Subscription.—(1) A subscriber shall subscribe monthly to the GPF except during the period when he is under suspension. A subscriber may at his option not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to half pay. A subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in lump sum or in instalments any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscription payable for that period.

Note.—A subscriber need not subscribe during a period treated as dies non.

(2) The subscriber shall intimate his option not to subscribe during the period of leave in writing to the Accounts Officer before he proceeds on leave. Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute election to subscribe. The option of a subscriber intimate under this regulation shall be final.

(3) A subscriber shall not subscribe to the GPF for the month in which he quits service unless before the commencement of the said month he communicates to the Accounts Officer in writing his option to subscribe for the said month. An employee due to retire on superannuation shall not make any subscription to the GPF during the last 3 months of his service.

(4) A subscriber who has under regulation 23 withdrawn the amount standing to his credit in the GPF shall not subscribe to the GPF after such withdrawal unless he returns to duty.

12. Rates of Subscription.—(1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself subject to the following conditions namely :—

- (i) It shall be expressed in multiples of 10 rupees ;
- (ii) It may be any sum so expressed not less than 6% of his emoluments and not more than his total emoluments.
- (2) For the purpose of Sub-Regulation (1) the emoluments of a subscriber shall be :

(a) In the case of a subscriber who was in the service of the Board on 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date. If the subscriber was on leave on that date and elected not to subscribe during such

orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the GPF only for the purpose of awarding interest under this Regulation.

Note.—Payment of interest on the GPF balance beyond a period of 6 months may be authorised by the Accounts Officer, up to any period after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to be made, and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action if any required, taken.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Accounts Officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asked for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(6) The interest on amounts which under sub-Regulation (3) of Regulation 13, Sub-Regulation (1) and (2) of Regulation 23 are replaced to the credit of the subscriber in the GPF shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under sub regulation (1) and so far as may be in the manner described in this regulation.

(7) In case a subscriber is found to have drawn from the GPF amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the GPF, shall be repaid by him with interest thereon in one lump sum, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lump sum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moiety or his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. For this sub-regulation the rate of interest to be charged on overdrawn amount would be 2 1/2% over and above the normal rate of Provident Fund balance under Sub-regulations (1).

15. Advance from the GPF.—(1) The appropriate sanctioning authority may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum in multiples of ten rupees and not exceeding in amount three month's pay or half the amount standing to his credit in the GPF, whichever is less, for one or more of the following purposes :—

- (a) To meet cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases namely :—
- (i) For education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage ; and
- (ii) For any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, if the course of study is for not less than three years.

Note.—A subscriber should be permitted to take an advance even in every six months.

- (b) To pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability including where necessary the travelling expenses of the subscriber and his family or any person actually dependent on him.
- (c) To meet the cost of plot or construction of a house or flat for his residence or to make any payment towards the allotment of plot or flat by the Delhi Development Authority or any other similar authorities in other States or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society. The limit of amount of advance in the said case shall not

exceed the subscriber's 36 month's pay or one half of the amount standing to such subscriber's credit in General Provident Fund, whichever is less.

- (d) To pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status, which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies.
- (e) To meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him ;
- (f) To meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any official misconduct on his part ;
- (g) To meet the cost towards additions, alterations, major repairs or improvements necessary to the dwelling house owned by the subscriber or by the spouse or jointly by the subscriber and the spouse.
- (h) To pay the premium due on a life insurance policy taken by a subscriber on his or by him on his own life.
- (i) To meet the cost of an equipment required by a subscriber who is physically handicapped, to minimise the hardship on account of such handicap.

(2) The Chairman may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned require the advance for reasons other than those mentioned in sub-regulation (1).

(3) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-regulation (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance.

(4) When an advance is sanctioned under sub-regulation (3) before repayment of last instalment of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

16. Recovery of advances:—(1) An advance shall be recovered from the subscriber in equal monthly instalments of such number as may be fixed by the sanctioning authority in each case but such number shall not be less than twelve, unless the subscriber so elects, and more than twenty four. In special cases, where the amount of advance exceeds three months pay of the subscriber the sanctioning authority may fix such number of instalments to be more than twenty four but in no case more than thirty six. A subscriber may at his option repay more than one instalment in a month. Each instalment shall be a number of whole rupees the amount of the advance being raised or reduced if necessary to admit of the fixation of such instalments.

(2) Recovery shall be made in the manner prescribed in regulation 2 for the realisation of subscription and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carry leave salary equal to half pay. The recovery may be postponed on the subscriber's written request by the Accounts Officer during recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed by the Chairman before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the subscriber to the GPF or in default be ordered by the Chairman to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly instalments not exceeding twelve. Before such advance is



disallowed the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of communication why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days it by the subscriber within the said period of fifteen days it shall be referred to the Chairman for decision, and if no explanation within the said period is submitted by him the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this sub-regulation.

(4) Recoveries made under this regulation shall be credited as they are made, to the subscriber's account in the GPF.

17. Wrongful use of advance:—If the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the GPF under Regulation 15 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the GPF forthwith or in default order the amount to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

18. Withdrawal from the GPF.—Withdrawals may be sanctioned by the appropriate sanctioning authority at any time.

(1) After the completion of twenty years of service or (including broken periods of service, if any) of a subscriber within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the GPF, for one or more of the following purposes, namely :—

- (a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the expenses of the following cases, namely :—
- (i) For education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage, and
- (ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage ;
- (b) Meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber or his sons or daughters and any other female relation actually dependent on him ;
- (c) Meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him ;

(2) After the completion of ten years of service (including broken period of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in GPF for one or more of the following purposes namely :—

- (a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site ;
- (b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence ;
- (c) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose ;

(d) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber ;

(e) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from Board at a place other than the place of duty ;

(f) constructing a house on a site purchased under clause (c) ;

(3) Within six months before the date of the subscriber's retirement from the amount standing to his credit in the GPF for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.

(4) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid for any the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the employees on self-financing and contributory basis.

(5) After completion of 15 years of service (including broken periods of service if any) or within year before the age of superannuation for purchasing a motor car, motor cycle, scooter, moped etc., or for repaying the loan already taken by them from the Board for this upmost subject to the condition that the employee holding a post below the post of Deputy Manager or equivalent will not be eligible for purchase of motor car.

Note 1.—A subscriber who has availed himself of an advance for house-building purpose, or has been allowed any other assistance in this regard from the Board, shall be eligible for the grant of final withdrawal under Sub-clause (a), (c), (d) and (f) of clause (b) for the purpose of specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the proviso to sub-regulation (1) of regulation 19.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of advance/assistance taken from the Board he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-clauses (a), (c) and (f) of clause (2) for purpose of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

Note 2.—Withdrawal under Sub-clause (a), (d), (e) or (f) of clause (2) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

Note 3.—The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of clause (E) shall not exceed 3/4th of the balance as on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a) reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is : 3/4th of the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

Note 4.—Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of Clause 2 shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 5.—Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this regulation. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause

[Part II—Rules 3(1)]

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

21

(a) or (f) of clause (2) for completion of the same shall be allowed up to the limit laid down under Note 3.

Note 6.—A withdrawal under this regulation shall not be sanctioned if an advance under regulation 15 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

19. Conditions for withdrawal.—(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in regulation 18 from the amount standing to his credit in the GPF shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six months pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4 of the balance at his credit in the GPF having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber, and (iii) the amount to his credit in the GPF. In no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in clause (3) of sub-regulation (1) of regulation 18 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time for the grant of advance for house-building purposes. In the case of a subscriber who has availed himself of an advance for house-building purposes, or has been allowed any other assistance in this regard from the Board, the sum withdrawn under this sub-regulation together with the amount of advance taken or the assistance taken shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time for grant of advances for house building purposes.

Note 1.—A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause (a) of clause (1) of sub-regulations (1) of regulation 18, may be drawn in instalments, the number of which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counted from the date of sanction.

Note 2.—In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchases, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-regulation (1) of regulation 19.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the GPF under regulation 17 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the GPF and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined. Before repayment of withdrawal is enforced under this sub-regulation, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced, and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub-regulation.

(3) (a) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a), (b) or (c) of clause (2) of regulation 18 to withdraw money from the amount standing to his credit in the GPF, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Board), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Chairman. Such permission shall not be necessary for

(i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or

(ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which title to the property is based.

(c) If, at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Chairman, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lump sum to the GPF and in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matters, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by it.

Note.—A subscriber who has taken loan from the Board and in lieu thereof mortgaged the house or house-site to the Board shall be required to furnish the declaration to the following effect namely :—

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to the Board."

20. Conversion of an advance into withdrawal.—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under Regulation 15 for any of the purposes specified in sub-regulation (1) of Regulation 18 may convert, at his discretion by written request addressed to the Account Officer through the sanctioning authority the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in regulations 18 and 19.

21. Subscriber's Accounts.—An account shall be opened in the name of each subscriber. The account shall show :—

(a) His subscriptions ;

(b) interest on subscriptions ;

(c) advances and withdrawals from the GPF

Provident Fund account number allotted to each employee will be entered on the right hand top of page (1) of his Service Book.

22. Nomination.—(1) Every subscriber shall at the time of joining the GPF send to the Accounts Officer a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund in the event of his death before that amount has become payable or being become payable has not been paid. Where a subscriber is a minor he shall be required to make the nomination only on his attaining the age of majority. A subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make nomination only in favour of a member or members of his family. The nomination made by the subscriber in respect of any other Provident Fund to which he was subscriber before joining the GPF shall if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the GPF be deemed to be nomination duly made under this regulation until he makes a nomination in accordance with this regulation.

(2) If a subscriber nominates more than one person he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the GPF at any time.

(3) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Accounts Officer. The subscriber shall alongwith such notice or separately send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(4) A subscriber may provide in a nomination :—

(a) In respect of any specified nominee that, in the event of his pre-deceasing the subscriber right conferred upon that nominee shall pass on to such other person or persons as may be specified in the nomination. Such other person or persons shall if the subscriber has other members of his family be such other member or members. Where a subscriber confers such a right on more than one person under this clause he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover a whole of the amount payable to the nominee.

(b) that the nomination should become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein. If at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family he shall provide in the nomination that, the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(5) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under Clause (a) of sub-regulation 4(5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-regulation (4) the subscriber shall send to the Accounts Officer a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(6) Even nomination made and every notice of cancellation given by a subscriber shall to the extent that, it is valid, take effect on the date on which it is received by the Accounts Officer.

**Note.**—In this regulation unless the context otherwise requires person or persons shall include a Company or Association or Body of individuals (whether incorporated or not). It shall also include a fund such as the Prime Minister's National Relief Funds or any Charitable or other Trust or fund to which nomination may be made through the Secretary or other Executive of the said fund or Trust authorised to receive payments.

**23. Final withdrawal of accumulations in the Fund.**—  
(1) When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him. As Subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Board, repay any amount paid to him from the GPF in pursuance of this regulation with interest thereon at the rate provided in regulation 14 in the manner provided in sub-regulation (2). The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

(2) When a subscriber

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement or

(b) while on leave, has been permitted to retire or declared by a competent medical authority to be unfit for further service,

the amount standing to his credit in the GPF shall, upon application made by him in that behalf to the Accounts Officer, become payable to the subscriber. The subscriber if he returns to duty, shall, except where the Board decides otherwise, repay to the GPF for credit to his account, the amount paid to him from the GPF in pursuance of this regulation with interest thereon at the rate provided in regulation 14 in cash or securities or partly in

cash and partly in securities, by instalments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise as may be directed by the Accounts Officer.

(5) On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made :

(i) When the subscriber leaves a family :

(a) If a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of Regulation 22 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the GPF or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination ;

(b) if no such nomination in favour of a member of the family, of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the GPF, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares ;

No share shall be payable to :

(1) sons who have attained majority ;

(2) sons of a deceased son who have attained majority ;

(3) married daughters whose husbands are alive ;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive; if there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4). The widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber.

(ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of Regulation 22 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the GPF or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

**24. Deposit Linked Insurance Scheme.**—On the death of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber subject to the condition that :—

(a) The balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of :

(i) Rs. 4,000 in the case of subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a Class I post.

(ii) Rs. 2,500 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a Class II post.

(iii) Rs. 1,500 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a Class III post.

(iv) Rs. 1,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years a Class IV post.

(b) The additional amount payable under this regulation shall not exceed Rs. 10,000.



- (c) The subscriber has put in atleast five years service at the time of his death.

Note 1.—The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed above :—

- (a) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of regulation 14 and
- (b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest in respect of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note 2.—Payment under this scheme should be in whole rupees. If an amount due includes a fraction of a rupee, it should be rounded to the nearest rupee. (53 paise counting as the next higher rupee).

Note 3.—Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and therefore, the statutory protection given by Section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (Act 19 of 1925) does not apply to sums payable under this scheme.

Note 4.—This scheme also applies to those subscribers to the GPF who are transferred to an autonomous organisation and who, on such transfer, opt, in terms of option given in accordance with these Regulations.

Note 5.—(a) In case of an employee who has been admitted to the benefits of the GPF under Sub-Regulations (1) and (2) of Regulation 3 but dies before completion of three years service or as the case may be, five years service from the date of his admission to the GPF, that period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscriptions and the employer's contribution if any, together with interest have been received, shall count for purposes of clause (a) and clause (c).

- (b) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment or re-employment, as the case may be, only will count for purposes of this regulation.

- (c) This scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

25. Manner of payment of amount in the GPF.—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the GPF becomes payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-regulation (3).

(2) If the person to whom, under these regulation any amount or policy is to be paid, assigned or reassigned or delivered, is a lunatic for whose estate a Manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or reassignment or delivery shall be made to such Manager and not to the lunatic. Where no Manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) of Section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 to the person having charge of such lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) Payments of the amount withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber, namely :—

- (i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the GPF, the

Head of Office shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement, if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of Office or Department for payment of the amount in the GPF. The application shall be made :—

- (A) For the amount standing to his credit in the GPF as indicated in the Accounts Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

- (B) for the amount indicated in his ledger account in case the Accounts statement has not been received by the subscriber.

- (ii) The Head of Office shall forward the application to the Account Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also indicate the withdrawals, if any, taken by the subscriber after the period covered by the last statement of the subscriber's account sent by the Accounts Officer.

- (iii) The Accounts Officer shall, after verification with the ledger account, issue an authority for the amount indicated in the application atleast a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.

- (iv) The authority mentioned in clause (iii) will constitute the first instalment of payment. A second authority for payment will be issued as soon as possible after superannuation. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the application submitted under clause (i) plus the refund of instalments against advances which were current at the time of the first application.

- (v) After forwarding the application for final payment to the Account Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of withdrawal/advance shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as the formal sanction of sanctioning authority is received by him.

Note.—When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under Regulation 23 Accounts Officer shall authorise prompt payment of the amount in the manner indicated in sub-rule(3).

## CHAPTER III

### CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND (CPF)

26. Constitution of the CPF.—All sums paid into the CPF under the regulations of this chapter shall be credited to an account named the INPT Employees Contributory Provident Fund (CPF).

27. Conditions of eligibility.—The Board may admit following classes of employees to the Contributory Provident Fund :—

- (1) A person employed for limited duration on Agreement or contract.
- (2) A person who is a member of any other Contributory Provident Fund appointed to the office of Chairman or the Dy. Chairman of the Board.
- (3) A person appointed to a post under the Board after attaining the age of 35 years and exercises an option for admission to the Contributory Provident Fund.

28. Subscriber's Account.—An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown :—

- (1) His subscriptions.
- (2) Contributions made under Regulation 30 to his account.
- (3) Interest as provided by Regulation 32 on subscriptions.

(4) Interest as provided by Regulation 32 on contributions.

(5) Advances and withdrawal from the CPF.

29. Rates of subscription.—All provisions of Regulation 12 shall apply mutatis mutandis for fixation of the rates of subscription to the CPF except that the rate of monthly subscription shall not be less than 10% of monthly emoluments and not more than monthly emoluments of a subscriber.

30. Board's contribution.—The Board shall make a contribution each year to the account of each subscriber and shall be limited to 10% of the emoluments of the subscriber and shall be made annually on 31st March except in the case where a subscriber quits service or dies during a year the Board's contribution (if any) shall be made upto the date on which the subscriber quits or dies. The amount of contribution payable shall be rounded to the nearest whole rupee i.e. the next higher rupee if the fraction is half or more and the next lower rupee if the fraction is less than half of a rupee.

31. Gratuity.—(1) In addition to the contribution by the Board as provided in Regulation 30 special contribution/gratuity will be granted in consideration of good, efficient and faithful services rendered by the subscriber. The gratuity will be credited to the account of every subscriber who :—

- (i) is discharged on abolition of cost after completion of five years of service.
- (ii) retires after rendering 30 years of service ;
- (iii) retires on account of permanent incapacity due to bodily or mental infirmity after completion of five years of service ;
- (iv) retires on attaining the age of superannuation provided not less than 15 years of service has been completed.

The gratuity will not be admissible to a subscriber who :—

- (i) resigns from service or whose services are terminated as a disciplinary measure ; and
- (ii) who is re-employed after superannuation or retirement.

(2) Gratuity shall be payable at the rate of one fourth of the emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 16 1/2 times of emoluments as on the date of retirement subject to a maximum of rupees one lakh whichever is less.

(3) Death gratuity in the case of death in service of an employee shall be paid at the rates specified in the following table :—

Length of Service	Death Gratuity payable to Family
(i) Less than one year	2 times of emoluments
(ii) One year or more but less than 5 years.	6 times of emoluments
(iii) 5 years or more but less than 20 years	12 times of emoluments
(iv) 20 years or more	half of emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times emoluments or one lakh whichever is less.

(4) Any gratuity admissible under this Regulation shall, subject to any deductions specified under Regulation 33 b. paid :—

- (a) to a subscriber on his retirement.
- (b) if the subscriber is dead, gratuity shall be paid to the family in the following order of priority :

First Category :—

- (i) wife or wives including judicially separated wife or wives, in the case of a male employee ;

(ii) husband including judicially separated husband, in the case of a female employee ;

(iii) sons including step sons and adopted sons ;

(iv) unmarried daughters including step-daughters and adopted daughters.

Second Category :—

(v) widowed daughters including step-daughters and adopted daughters.

(vi) father including adoptive parents.

(vii) mother including adoptive parents

(viii) brothers below the age of eighteen years including step-brothers ;

(ix) unmarried sisters and widowed sisters including step-sisters ;

(x) married daughters ; and

(xi) children of a pre-deceased son.

(5) Payment when there is no nomination/valid nomination.—Gratuity remaining unpaid at the time of death, death gratuity due is payable in equal shares to all the surviving members of the family of the deceased as in the first category. If there are none under this category, it will then be paid in equal shares to all the surviving members of his family as in the second category.

32. Interest.—The Board shall pay interest on all subscriptions as well as on the Board's contributions at such rates as the Board may from time to time prescribe calculated on the monthly balance at the credit of each subscriber compounded yearly. Such interest shall be credited to the subscriber's account each year on 31st March.

33. Deduction from Board's contribution.—Subject to the condition that no deduction may be made which reduces the credit by more than the amount of any contribution by the Board with interest thereon credited under regulation 30 and 32. Before the amount standing to the credit of a subscriber admitted to the CPF is paid out of the CPF, the Board may direct the deduction there from of :

(i) All amount representing contributions and interest if the subscriber is dismissed from the service due to misconduct, insolvency or inefficiency. If the Chairman is satisfied that such deduction would cause exceptional hardship to the subscriber, he may, by order, in writing exempt from such deduction an amount not exceeding two third of the amount of such contribution and interest which would have been payable to the subscriber if he retires on medical grounds. If the order of dismissal is subsequently cancelled, the amount so deducted shall, or his reinstatement in the service, be replaced to his account in the CPF.

(ii) All amount representing such contribution and interest if the subscriber within five years of the commencement of his service resigns from the service or ceases to be an employee of the Board otherwise than by reason of death, superannuation, or a declaration of a Medical Officer that, he is unfit for further service or abolition of the post or reduction in establishment.

(iii) any amount due to the Board under a liability incurred by a subscriber to the Board.

(2) Any forfeiture which may occur during the year shall become the Property of the Board.

(3) If a subscriber is concerned in any loss of Port Trust funds or other irregularity which is the subject of an enquiry, the Payment of the Board's contribution and the interest thereon shall not be made until the conclusion of the enquiry, unless the Board, is satisfied that the results of the enquiry need not be awaited.

34. Application of Regulations under Chapter II.—The provisions of regulations under Chapter II will apply mutatis mutandis to the subscribers to the CPF except as provided under regulations 26 to regulations 33 in this chapter.